हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

31 मार्च, 2016

खण्ड-1, अंक-12

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 31 मार्च, 2016

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(12) 1
डी०ए०वी० कॉलेज, सढौरा, जिला यमुनानगर के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अभिनन्दन	(12) 3
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(12) 4
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(12) 28
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(12) 32
नियम-15 के अधीन प्रस्ताव	(12) 36
नियम-16 के अधीन प्रस्ताव	(12) 37
सरकारी संकल्प-	(12) 37
सिविल हवाई अड्डा, चण्डीगढ़ का नाम बदलकर शहीद भगत सिहं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने से सम्बन्धित	
सदन की मेज पर रखा गया कागज-पत्र	(12) 38
वक्फ बोर्ड कानून में एक संशोधन का मामला उठाना	(12) 38

मूल्य :

थर्मल पावर प्लांट, पानीपत का नाम बदलने सम्बन्धी मामला उठाना (12) 39

विधान सभा समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना (12) 39

(i) अधीनस्थ विधान समिति की 44वीं रिपोर्ट

(ii) लोक लेखा समिति की 72वीं रिपोर्ट

(iii) जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की तीसरी रिपोर्ट

(iv) याचिका समिति की 6वीं रिपोर्ट

विधान कार्य- (12) 40

(1) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 2) बिल, 2016

(2) दि ईस्ट पंजाब होल्डिग्ज (कंसोलिडेशन एण्ड प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमैंटेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2016

(3) दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2016

(4) दि हरियाणा फायर सर्विस (अमैंडमैंट) बिल, 2016

(5) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (रिपील) बिल, 2016

(6) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2016

(7) दि हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन बिल, 2016

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के तीन सदस्यगण का निलम्बन रद्द करने के लिए अनुरोध (12) 51

हरियाणा विधान सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने से सम्बन्धित मामला उठाना (12) 57

विधान कार्य (पुनरारम्भ) (12) 60

(8) दि हरियाणा मैनेजमैंट ऑफ सिविक अमेनिटीज एण्ड इन्फास्ट्रक्चर डेफिशिऐंट म्युनिसिपल एरियाज (स्पेशल प्रोविजन्स) बिल, 2016

एक विशेष स्वर्ण जयंती विधान सभा सत्र के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा/मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद। (12) 62

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 31 मार्च, 2016

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

Number of PHC/CHC in Julana

***1174. Shri Parminder Singh Dhull:** Will the Health Minister be pleased to state the total PHCs as well as CHCs in Julana Assembly Constituency currently functioning/operating at their full potential and whether there is any proposal to upgrade their infrastructure?

Health Minister (Shri Anil Vij) :

Sir, 01Community Health Center & 03 Primary Health Centers are currently functioning/operating in Julana Assembly Constituency, Presently, there is no proposal to upgrade any infrastructure.

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि मेरे विधान सभा हल्के में तीन पी.एच.सीज़. हैं या तो इनके विभाग से गलती हुई है या फिर इनके विभाग द्वारा इनको गलत सूचना दी गई है क्योंकि मेरे हल्के में तीन नहीं बल्कि खरक राम जी, राम राय, जय जयवंती, सामलो कलां और निडाना इस प्रकार से पांच पी.एच.सीज़. हैं और एक सी.एच.सी. है। पहले तो माननीय मंत्री जी अपने विभाग से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें कि उनको ऐसी गलत सूचना क्यों दी गई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां पर किसी भी पी.एच.सीज़. या जुलाना की सी.एच.सी. की अपग्रेडेशन की कोई योजना नहीं है। मेरा अपना गांव राम राय है वहां पर धर्मशाला में पिछले काफी लम्बे अरसे से पी.एच.सी. चल रही है और वहां पर डॉक्टर के बैठने की भी जगह नहीं है। पंचायत ने पी.एच.सी. के लिए ज़मीन दी हुई है। इसी प्रकार से गांव निडाना में पी.एच.सी. भी धर्मशाला में चल रही है और वहां की पंचायत ने भी पी.एच.सी. के लिए ज़मीन दी हुई है। माननीय मंत्री जी खरक राम जी भी गये थे तो उस समय वहां के लोगों ने माननीय मंत्री जी को यह भी बताया था कि पी.एच.सी. में जाने का पक्का रास्ता नही है और पी.एच.सी. की बिल्डिंग की हालत भी काफी खस्ता है। माननीय मंत्री जी के कहने के पश्चात् उस पी.एच.सी. में जाने के लिए पक्की सड़क तो बन गई है लेकिन पी.एच.सी. की बिल्डिंग की कोई सुध विभाग द्वारा नहीं ली गई है। ऐसे ही गांव सामलो कलां की पी.एच.सी. है जिसका माननीय सरदार प्रताप सिंह कैंरो ने सन् 1962 में उद्घाटन किया था। यह पी.एच.सी. पहले बहुत अच्छी चल रही थी और वहां पर सी.एम.ओ. भी बैठता था। वहां पर काफी संख्या में मरीज़ भी दाखिल होते थे। लेकिन आज उस पी.एच.सी. की हालत बहुत ही ज्यादा जर्जर है। मैंने इस बारे में पहले भी आवाज़ उठाई थी लेकिन उसके बावजूद भी विभाग ने इतनी ही कृपा की कि उस पी.एच.सी. का गेट तो लगा दिया गया लेकिन उसके अलावा उसमें कुछ नहीं किया गया। इसी प्रकार से मैंने आपको कहा था कि जुलाना की सी.एच.सी. में जाने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं

[श्री परमिन्दर सिंह ढुल]

है लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक भी उस सी.एच.सी. में जाने का कोई सही रास्ता नहीं है। उस सी.एच.सी. में जाने का जो रास्ता है उसकी लम्बाई सिर्फ एक किलोमीटर है वह अभी तक कच्चा ही पड़ा है। इसके अलावा किसी भी पी.एच.सी. और सी.एच.सी. में हॉट लाईन की सुविधा नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के की किसी भी पी.एच.सी. और यहां तक कि सी.एच.सी., जुलाना में भी कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं है जिसके अभाव में महिलाओं को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक और अचम्भे वाली घटना मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि 18 अक्तूबर, 2012 को सी.एच.सी., जुलाना से डैंटल चेयर और एक्स-रे मशीन की चोरी हुई थी। उस चोरी के मामले को सिर्फ एफ.आई.आर.दर्ज़ करके रफा-दफा कर दिया गया और उसकी कोई भी प्रॉपर जांच नहीं करवाई गई। जबकि वास्तव में यह हुआ था कि इन दोनों चीज़ों को वहां से उठाकर किसी व्यक्ति विशेष को दे दिया गया था। आज की हालत यह है कि सी.एच.सी., जुलाना के अंदर डैंटिस्ट तो मौजूद है लेकिन डैंटल चेयर नहीं है। यह जो चोरी का मामला था यह एक बहुत ही गम्भीर अपराध था लेकिन इसके ऊपर एक सुनियोजित तरीके से पर्दा डाल दिया गया और इस चोरी के केस को सदा-सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। स्पीकर सर, इसके साथ-साथ मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि अगर मेरे हल्के की सारी की सारी पी.एच.सीज़. को नहीं तो मेरे हल्के के आदर्श गांव सामलो कलां की ही पी.एच.सी. को आदर्श गांव के स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए अपग्रेड करके सी.एच.सी. बनाने और जिन गांवों की पंचायतों ने पी.एच.सीज़. की बिल्डिंग के लिए पंचायती ज़मीन दी हुई है उनकी बिल्डिंग बनाने का आश्वासन दे दें तो मैं उनका तहेदिल से शुक्रगुजार रहूंगा। अगर माननीय मंत्री जी इस प्रकार की कोई प्रपोजल तैयार करते हैं तो मैं उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करूंगा।

Shri Anil Vij : Speaker Sir, I am very much concerned with the issue raised by the Hon'ble Member that there is no hotline in PHCs/CHCs. I want to apprise the House that we have given purchase orders for generator sets for all the PHCs and CHCs where there is no hotline is available. Speaker Sir, I know operations cannot be done in the candle lights. There is no arrangements till date in this regard in all the PHCs/CHCs and Hospitals. Speaker Sir, it is a very serious issue and we have taken care of it. Speaker Sir, as regards the Members is concerned that the conditions of the building is not adequate, I want to assure the House that a special survey will be conducted in all the Assembly Constituencies as well as in the entire State in this regard. Whereas he stated that the PHCs are working in the Panchayats' or Dharamshalas' buildings, regarding this issue I want to submit that the land has not been transferred to the Health Department as soon as the land is transferred to the department we will definitely looked into this matter and definitely provide new buildings.

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सर्वे करवाने के लिए कहा है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ तथा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पंचायत ने जमीन स्वास्थ्य विभाग को ट्रांस्फर करने के लिए प्रस्ताव पास करके भेज दिया है तथा वह सरकार के स्तर पर पैंडिंग है मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार उस पर

शीघ्र संज्ञान ले। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि 18 अक्तूबर, 2012 को जुलाना सी.एच.सी. से एक डैन्टल चेयर तथा एक्स-रे मशीन चोरी हुई थी जिसकी केवल एफ.आई.आर. दर्ज करके औपचारिकताएं पूरी कर ली गई जबकि उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। सरकारी पैसे से खरीदी हुई चीजे चोरी करके किसी के पास भेजी गई हैं लेकिन उसको रिकवर करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उसकी जाँच करवाई जाये तथा सी.एच.सी. जुलाना में डैंटल डॉक्टर तो है लेकिन डैंटल चेयर नहीं है इसलिए वहाँ पर डैन्टल चेयर स्थापित की जाये। इसी तरह से वहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन की हालत भी बहुत खराब है इसलिए वहाँ पर नई अल्ट्रासाउंड मशीन भिजवाई जाये तथा वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर की भी व्यवस्था की जाये ताकि लोगों को परेशानी न हो।

Shri Anil Vij : Speaker Sir, I have already assured the Hon'ble Member that a special enquiry will be conducted in the matter of theft of dental chairs and looked into the matter deeply.

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक पी.एच.सी. को भी अपग्रेड करने का आश्वासन दे दें क्योंकि उनको जीन्द में एक पी.एच.सी. को अपग्रेड तो करना है ही। मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए विधान सभा के बाहर डमरू भी बजाया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य की बात सुन ली है और मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मेरे पास जो डाटा उपलब्ध है उसके हिसाब से वहाँ पर अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है। मैं माननीय सदस्य को उसकी पूरी डिटेल भी बता दूंगा। जहाँ तक बिल्डिंग को ठीक करने की बात है तो वह बात इनकी जायज है और हम इसको एग्जामिन करवायेंगे तथा जहाँ भी जरूरत होगी हम उसको ठीक करवा देंगे। इस बारे में मैंने अधिकारियों को बोल दिया है। इसी तरह से जहाँ तक पंचायत के जमीन ट्रांस्फर करने के प्रस्ताव की बात है तो पंचायतें प्रस्ताव पास तो कर देती हैं लेकिन जमीन विभाग के नाम ट्रांसफर नहीं हो पाती है।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, पंचायत की तरफ से विभाग के नाम जमीन ट्रांसफर करने का काम मैं करवा दूंगा। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि एक पी.एच.सी. तो अपग्रेड कर ही दें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ये जमीन ट्रांसफर करवा देंगे अगर ये जमीन ट्रांसफर करवा देंगे तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे। इसी प्रकार से अगर उन पी.एच.सीज. में से कोई पी.एच.सी. नॉर्म्स पूरे करती होगी तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे।

डी0ए0वी0 कॉलेज, सढौरा, जिला यमुनानगर के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, डी0ए0वी0 कॉलेज सढौरा, जिला यमुनानगर के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

डॉ. पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री परमिन्दर सिंह ढुल जो बात कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। जितने भी गांव पी.एच.सीज. के अधीन आते हैं उनका सर्वे और डीलिमिटेशन दोबारा से करवाना पड़ेगी क्योंकि कई गांव तो ऐसे हैं जो पी.एच.सी. से दो किलोमीटर दूर हैं और उनकी सी.एच.सी. भी 10 किलोमीटर दूर है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बुस्टाला गांव है इसकी पी.एच.सी. धुराला गांव में पड़ती है इस गांव की सी.एच.सी. झांसा गांव में पड़नी चाहिए लेकिन इसकी सी.एच.सी. मथाना गांव में पड़ रही है। मेरे हल्के में एक अंटेहड़ी गांव है जिससे एक-डेढ़ किलोमीटर पर मथाना गांव है उसकी पी.एच.सी. मथाना गांव में पड़नी चाहिए लेकिन उसकी पी.एच.सी. टाटका गांव में पड़ रही है। एक गांव सुल्तनापुर पटाक माजरा है उसकी पी.एच.सी. उससे दो किलोमीटी दूर गूढ़ा गांव है उसमें पड़नी चाहिए लेकिन उसकी पी.एच.सी. टाटका गांव में पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इन गांवों का सर्वे करवाकर डीलिमीटेशन करवाएं जिससे सभी लोगों को लाभ मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, ऑनरेबल मैंबर ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। हमारे प्रदेश में पहले पी.एच.सीज. राजनीतिक कारणों से खुला करती थी जिसका जहां पर ज्यादा जोर लगा उसने ही वहां पर अपनी पी.एच.सीज. बनवा दी। बहुत सारी ऐसी पी.एच.सीज. शहरों में भी हैं जैसे यहां तो सिविल अस्पताल है और उससे आधा किलोमीटर की दूरी पर किसी ने पी.एच.सी. बनवा दी जोकि यूज ही नहीं होती क्योंकि जो घर से पेशेंट लेकर आएगा वह तो सीधा सिविल अस्पताल में लेकर जाएगा वह पी0एच0सी0 में क्यों जाएगा। इस तरह की पी0एच0सीज0 में हमें बेवजह स्टाफ लगाना पड़ता है जो खाली बैठा रहता है। सर, अब हमने नीड बेस्ड होस्पिटल्स और डिस्पैंसरीज खोलने का फैसला कर लिया है। सैनी साहब डीलिमिटेशन करने की बात कर रहे हैं उसको भी हम करेंगे क्योंकि कल भी श्री असीम गोयल जी का प्रश्न था जिसमें एक विषय आया था कि उसके क्षेत्र में जो डिस्पैंसरी है वह नग्गल चौधरी गांव को लगती है जो वहां से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इस्माईलाबाद गांव को देखें तो वह 12 किलोमीटर की दूरी पर है। सर, हम इन सभी का मैपिंग करवाएंगे।

डॉ. अभय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, नांगल चौधरी गांव में जो सी.एच.सी. है उसमें अल्ट्रासाऊंड व एक्सरा मशीने हैं जिनको मैं पिछले डेढ़ साल से जब से ये सरकार बनी है उसी दिन से देख रहा हूं कि बन्द पड़ी हैं। वहां न तो कोई मशीन चलती है और न ही वहां पर कोई एक्सरा करने वाला कोई आदमी है। इसके अलावा एक गायनाकॉलेजिस्ट भी इस सी0एच0सी0 में नहीं है जिस कारण वहां के लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस सी0एच0सी0 में गायनाकालोजिस्ट भी लगाने की कृपा करें।

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, यह बार-बार गायनॉकॉलोजिस्ट की बात आ रही है जिसका हमने हल निकाला है। पहले केवल एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्ज का ही कैडर होता था और जब हम विज्ञापन निकालते थे तो सारे एम0बी0बी0एस0 ही आ जाते थे और हम उन्हीं को ही भर लेते थे। भगवान की कृपा ही होती थी कि कोई स्पैशलिस्ट आ जाता था। अब हम स्पैशलिस्ट के लिए अलग से कैडर बनाने जा रहे हैं। अब हम विज्ञापन करेंगे तो हम ये लिखेंगे कि हमें कितने

गायनॉकॉलोजिस्ट और कितने ऑर्थोपैडिक्स चाहिए और कितने ई0एन0टी0 चाहिए। हम इस प्रकार विज्ञापन निकालेंगे ताकि उसकी भर्तियां भी अलग से हो सकें। सर, पहले इस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हमें जितना बजट मिलता है उतने सीमित पैसों में भी बहुत कुछ सुधार हो सकता है। हमने 700 पोस्टें निकाली थीं और वे सारे ही एम0बी0बी0एस0 आ गये। हमने उनको रख लिया लेकिन स्पेशलिस्ट कोई नहीं आए। अगर कोई दो-चार स्पेशलिस्ट अपनी मर्जी से आ गये तो वह भी हमने रख लिये। हम स्पेशलिस्ट्स को लगाते हैं लेकिन जितनी हमें जरूरत है उतने नहीं आते तथा उतने एप्लाई भी नहीं करते। इसलिए डिपार्टमैंट में हमारा प्रोसैस चल रहा है और हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्ज का स्पेशल कैडर क्रियेट कर रहे हैं ताकि हम उनकी अलग से भर्ती कर सकें।

---

33 KV Sub-Station in Village Chautala

***1111. Smt. Naina Singh Chautala:** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that 33 KV Sub-Station sanctioned in village Chautala has not been commissioned; if so, the time by which the abovesaid Sub-Station is likely to to be commissioned?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान नहीं। गांव चौटाला में 33 के.वी. सब-स्टेशन पहले से ही 28.10.2015 से चालू किया जा चुका है।

श्रीमती नैना चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गांव चौटाला में जो 33 के.वी. का सब-स्टेशन बना हुआ है उसके लिए पंचायत ने जो जमीन दी हुई है वह बिना किसी मुआवजे के दी हुई है । क्या उस गांव को 24 घण्टे बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि हां, तो क्या गांव वालों को यह सुविधा ट्यूबवैल के लिए भी मिलेगी ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित बहन जी को बताना चाहता हूं कि यह सरकार की तरफ से पहले से ही तय किया जा चुका है कि जिस फीडर पर 25% से लाईन लोसिज कम हों और 90 प्रतिशत की रिकवरी हो तो वहां पर हम 24 घण्टे बिजली देंगे लेकिन जो चौटाला फीडर है उस पर आज भी 56 प्रतिशत लाईन लोसिज हैं यदि ये इस फीडर पर 25 प्रतिशत तक लाईन लोसिज ले आएंगे और बिजली के बिल पूरे भरेंगे तो निश्चित तौर पर चौटाला गांव को 24 घण्टे बिजली दे दी जाएगी।

To Provide Local Bus Service

***1139 Shri Ved Narang:** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to connect the Mill gate area of Barwala with the local bus service; if so, the details thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान् जी, हिसार-मिर्जापुर, हिसार-रायपुर/ शिकारपुर/खरड़, हिसार-चैनौत/ खोखा-खरकड़ी, हिसार-भाटला एवं हिसार-महजत मार्गों पर चलने वाली हरियाणा परिवहन, हिसार की सभी बसें मिल गेट एरिया हिसार से होकर जाती हैं।

श्री वेद नारंग: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा कि बरवाला हल्के में मिलगेट क्षेत्र एक काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और शहर के बीचों-बीच पड़ता है। जिन बसों का जिक्र माननीय मंत्री जी ने अभी सदन में किया है यह सभी बसें बाईपास से होकर जाती हैं। मेरा अनुरोध है कि इन बसों का रूट ऑटोमार्किट, पड़ाव चौक, मिलगेट से होते हुए मिर्जापुर तक किया जाये और केवल मात्र तभी यहां के निवासियों को आने-जाने में सुविधा प्राप्त हो सकती है वरना शहर के निवासियों को आने-जाने की समस्या यथावत ही बनी रहेगी। अगर यह संभव नहीं है तो माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि इस समस्या के समाधान के लिए यहां पर लोकल बस सेवा शुरू की जाये ताकि शहरों के अन्दर के हिस्सों को बस रूट के साथ जोड़ा जा सके।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जिन बसों का मैंने अपने जवाब में जिक्र किया था इन बसों का रूट शहर के अन्दर से हुआ करता था लेकिन यातायात जाम लगने की समस्या के मद्देनज़र बसों का रूट बाई-पास के माध्यम से बाहर से कर दिया गया था हिसार में जिस रास्ते पर जाम लगा रहता था वहां पर अब प्रशासन द्वारा यातायात के डाइवर्जन की वजह से यातायात जाम की कोई समस्या नहीं है अत: अब सभी स्थानीय मार्गों जैसे हिसार-मिर्जापुर-हिसार, रायपुर, शिकरपुर, खरड़, हिसार, चिनौत, खोखा, खरकड़ी, हिसार-वड़ाला-हिसार तथा महजद आदि रूटों पर चलने वाली बसों का रूट ऑटो मॉर्किट, जहाजपुर व मिलगेट रोड़ हिसार से कर दिया गया है।

श्री वेद नारंग: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि बरवाला शहर व आस पास के गांवों के विद्यार्थियों को बरवाला से हिसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है लेकिन बस स्टैण्ड पर भीड़ की वजह से इन विद्यार्थियों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस विकट स्थिति में छात्राओं को बस मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है और इसका सबब यह पेश आता है कि कईं बार छात्राओं को बस न मिलने की वजह से मजबूरन घर का रूख करना पड़ता है। मेरा माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि बरवाला शहर से हिसार तक छात्राओं के लिए स्पेशल बस सेवा आरम्भ की जाये।

श्री कृष्ण लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं'' अभियान के तहत हरियाणा सरकार ने बेटियों के हित में बहुत से अहम फैसलें लिये हैं ताकि हमारी बेटियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई पेश न आये। परिवहन विभाग ने शिक्षा विभाग व तकनीकी शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी है कि गांव से कॉलेज तक, शहर से यूनिवर्सिटी तक कितने ऐसे रूट्ज है जहां पर छात्राओं को बस सुविधा की आवश्यकता है। इस परिपेक्ष्य में अब तक हमारे पास 44 रूट्ज की रिपोर्ट आई है और फलस्वरूप इन सभी 44 रूट्ज पर लड़कियों के लिए स्पेशल बस चलाने का कार्य शुरू किया है। इसके अतिरिक्त मेरे पास 32 और रूटों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इन 32 रूटों पर भी लड़कियों के लिए स्पेशल बसें जल्द से जल्द चलाई जायेंगी। इन बसों में महिला सुरक्षा गार्ड्ज को भी तैनात किया जायेगा ताकि हमारी बेटियां गांव से शहर तक कॉलेज या युनिवर्सिटीज में सुरक्षित आ-जा सकें। श्री वेद नांरग जी ने परसो भी यह सवाल सदन में उठाना चाहा था लेकिन प्रश्न काल का समय पूरा होने की वजह से यह सवाल उठाया नहीं जा सका था। माननीय साथी की चिंता वाजिब है और मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बरवाला से हिसार के लिए लड़कियों की दो बसों को निश्चित तौर से चलाया जायेगा।

श्री वेद नारंग: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरी मांग को स्वीकार कर लिया है इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1987 में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने चंडीगढ़ से चौटाला और संगरिया तक एक बस सेवा शुरू की थी। यह बस वाया पंजाब होकर चौटाला गांव तक जाती थी। इस बस सेवा की वजह से हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग पी.जी.आई. चण्ड़ीगढ़ में अपना इलाज करवाकर शाम को वापिस अपने घर चले जाया करते थे। यह बस इतनी भरकर निकलती थी कि लोग सीट न मिलने के बावजूद भी चंडीगढ़ से चौटाला गांव तक खड़े होकर जाया करते थे। वर्ष 2005 में जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो इस बस सेवा को बंद कर दिया गया था। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि क्या इस बस सेवा को पुन: चलाने का काम किया जायेगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, मैं बहन नैना जी को बताना चाहूँगा कि परिवहन विभाग में इंटर स्टेट परमिट होते हैं। आप चंडीगढ़ से चौटाला और संगरियां तक बस सेवा फिर से शुरू करने बारे लिखित में दे सकते हैं। हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। यदि चंडीगढ़ से चौटाला और संगरिया की बस सेवा के लिए परमिट हमारे पास मौजूद होगा और यह बस सेवा लॉस में नहीं होगी तो निश्चित तौर से हम बस-सेवा फिर से शुरू करवा देंगे।

Change of Block

***1318 Shri Gian Chand Gupta :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to include the village Naya Gaon of Block Raipur Rani and village Sabilpur of Block Morni in Barwala Block; if so, the details thereof togetherwith the steps taken in this regard ?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : गांव नयागांव खण्ड बरवाला में शामिल करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, तथापि गांव सबीलपुर को खण्ड मोरनी में शामिल करने का संबंध है, इस बारे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में ब्लॉक मोरनी का गांव सबीलपुर को बरवाला ब्लॉक में सम्मिलित करने का और ब्लॉक रायपुर रानी का गांव नयागांव को बरवाला ब्लॉक में सम्मिलित करने के बारे में पूछा है। गांव नयागांव खण्ड बरवाला में शामिल करने का प्रस्ताव तो कमेटी ने स्वीकार कर लिया है और इसकी सिफारिश हम सरकार को कर रहे हैं। गांव सबीलपुर को खण्ड मोरनी में शामिल करने का जहां तक संबंध है, उसका प्रपोजल गांव की पंचायत से नहीं आया है। यदि माननीय सदस्य पंचायत से एक प्रपोजल बनवाकर सरकार के पास भिजवा देंगे तो इसको भी स्वीकार कर लेंगे।

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूँ कि गांव नयागांव को खण्ड रायपुर रानी से बरवाला ब्लॉक में शामिल करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ लगने वाला जो पुलिस स्टेशन है वह रायपुर रानी ब्लॉक में पड़ता है लेकिन जब इस गांव के लोग अपने शिकायतों को लेकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपका पुलिस स्टेशन दूसरे ब्लॉक में पड़ता है। क्या गांव के साथ-साथ पुलिस स्टेशन को भी बरवाला खण्ड में बदला जायेगा? दूसरा जो माननीय मंत्री महोदय ने गांव सबीलपुर की बात कही है तो मैं समझता हूँ कि गांव की पंचायत ने रैजोल्यूशन पूरा नहीं भेजा है, पंचायत ने यह नहीं लिखा कि after excluding it from the Morni Block इसको बरवाला ब्लाक में शामिल किया जाए। उन्होंने यह लिखा है कि हमारे एक गांव को बरवाला खण्ड में शामिल किया जाये। उन्हें यह लिखना चाहिए था कि मोरनी ब्लॉक से हटाने के बाद इसको बरवाला ब्लॉक में शामिल किया जाए। मुझे लगता है इस कारण से थोड़ी कंफ्यूजन हुई है। अध्यक्ष महोदय, हम पंचायत से दोबारा से रैजोल्यूशन लेकर के माननीय मंत्री महोदय के पास भिजवा देंगे। क्या माननीय मंत्री जी नयागांव का पुलिस स्टेशन का भी ब्लॉक बदलने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, पुलिस स्टेशन बदलने का विषय तो गृहमंत्री महोदय के पास है।

Construction of Straight Bridge

***1155 Shri Ravinder Baliala :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct straight bridge on Sukhchain canal from Ratia to Bhuna road in place of present skewed bridge; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो पुल के निर्माण की बात पूछी है, उसका उत्तर सदन के पटल पर तो ना में दिया गया है लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिया था कि इस पुल को बनाना है, इसलिए सरकार इस पुल को अगले साल जरूर बना देगी।

Funds sanctioned for Mewat Development Board/Agency

***1259 Shri Zakir Hussain :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state:-

(a) the yearwise and headwise details of funds sanctioned and disburse under Mewat Development Board and Mewat Development Agency for the last 10 financial years; and

(b) the yearwise and category wise details of funds spend on establishment, salaries and on Development works under Mewat Develpment Board and Mewat Development Agency for the last 10 financial years ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :

श्रीमान जी, स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी है।

विवरण

मेवात विकास बोर्ड/अभिकरण के लिए स्वीकृत निधियां

(क) हरियाणा सरकार ने वर्ष 2006-07 से 2015-16 (08-03-2016 तक) ₹18906.00 लाख मेवात विकास बोर्ड एवं मेवात विकास अभिकारण को स्वीकृत किये तथा ₹ 17351.46 लाख वितरित किये गये है अनुलग्नक-I.

(ख) वर्ष 2006-07 से 2015-16 (08-03-2016 तक) ₹ 9203.96 लाख संस्थापन एवं वेतन पर तथा ₹ 3488.41 लाख विकास कार्यों (लोक) पर अभिकरण द्वारा व्यय किये गये है अनुलग्नक-II.

उपरोक्त के अतिरिक्त अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹ 4043.61 लाख 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये थे तथा ₹ 3977.19 लाख सरकार द्वारा वितरित किये जा चुके है अनुलग्नक-III. ₹ 1932.69 लाख अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये है। ₹1932.69 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 606.64 लाख सरकार द्वारा वित्तरित किये जा चुके हैं अनुलग्नक IV अन्त में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, की ऋण स्कीमों के अन्तर्गत अवधि 2009-10 से 2015-16 (08-03-2016 तक) ₹ 982.80 लाख 3336 लाभार्थियों को वितरित किये जा चुके है अनुलग्नक-V

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि सरकार द्वारा मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड और मेवात डिवैल्पमैंट एजेंसी के लिए वर्ष 2006 से 2015-16 के दौरान लगभग 189 करोड़ रूपये मंजूर हुए हैं जिसमें से लगभग 173 करोड़ रुपये डिस्बर्स हुए हैं। अध्यक्ष महोदय मेवात सबसे पिछड़ा जिला है। मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड ने लगभग 15 करोड़ रुपये वितरित नहीं किये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इसके लिए मेवात विकास बोर्ड के अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम तो एक-एक पैसे के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इन्होंने लगभग 173 करोड़ रुपये खर्च किये हैं जिसमें से 92 करोड़ रूपये तो केवल तनख्वाहों पर ही खर्च हुए हैं। माननीय मंत्री जी के जवाब के अनुसार 173 करोड़ रूपये में से लगभग 34 करोड़ 88 लाख रुपये डिवैल्पमैंट के कामों पर खर्च हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी धांधलेबाजी और कोई नहीं हो सकती। मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड तो हैल्थ और पंचायत विभाग से भी ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है। अध्यक्ष जी, यहां तो वही कहावत है -

शेर का भाई भगेरा, एक कूदै नौ, दूसरा कूदै तेरह।

मेवात में तो यह 13 की बजाय 26 कूद गया है। माननीय अध्यक्ष जी, 173 करोड़ रूपये के बजट में 46 करोड़ रूपये का तो कोई जिक्र नहीं है। 173 करोड़ रूपये में अगर आप 46 करोड़ रूपये घटाएंगे तो लगभग 126 करोड़ रूपये एस्टेबलिशमैंट और डिवैल्पमैंट के कामों और पर खर्च हुआ है। इस प्रकार 46 करोड़ 59 लाख रूपये के खर्च का कहीं जिक्र नहीं है। विभाग ने जवाब में खर्चे की फिगर्ज। तो पूरी कर दी है लेकिन इस जवाब की डिटेल सदन के पटल पर नहीं दी गई है। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन का ध्यान एजुकेशन में स्कूल के खर्च की ओर दिलाना चाहता हूँ। 173 करोड़ में से 93 करोड़ रूपये भी केवल तनख्वाह देने और कमरे बनाने पर खर्च किये गए हैं क्योंकि मेवात में शिक्षा विभाग का काम मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड कर रहा है। हैल्थ में नर्सों की तनख्वाह 4 करोड़ रूपये दिखाई गई है। इसी तरह एग्रीकल्वर के नाम पर 12-12 करोड़ रूपये, 2-2 करोड़ रूपये और 3-3 करोड़ रुपये बांटे गए हैं जिसका कोई अता-पता ही नहीं है। ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम का खर्च किसी साल में 85 लाख तो किसी साल में सवा करोड़ है। कम्युनिटी डिवैल्पमैंट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं दर्शाया गया है। जवाब के मुताबिक वर्ष 2008-09 में 85 लाख रूपये, वर्ष 2009-10 में 71 लाख रूपये खर्च किये गए हैं। वर्ष 2011-12 व 2012-13 में जब से पूर्व की कांग्रेस सरकार में नूंह के पूर्व विधायक मंत्री बने तब से आप देखेंगे कि कई मदों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जैसे पंचायत विभाग के खर्चे का कोई रिकार्ड ही नहीं है। सईद हसन खां मैडिकल कॉलेज में भारी धांधलेबाजी है ऐसा फिगर्ज बता रही हैं। स्पीकर सर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज भी हर बात में जांच करने की बात कहते हैं, वे करनाल में छत पर चढ़कर पानी की टंकी देखते हैं, अम्बाला में कूलर में झांकते हैं और जब वे नूंह जाते हैं तो बगैर किसी चीज की जांच किये वापस आ जाते हैं। श्री अनिल विज ने मेवात में ऑपरेशन थियरेटर तो क्या मेडिकल कॉलेज में झांककर भी नहीं देखा। (विघ्न) हमने फोटो दिखाई थी लेकिन जांच क्या हुई है ? मैं कहना चाहता हूँ कि निर्माण कार्य में हुए घोटाले की स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी क्या जांच करेगा ? (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं उनमें से मैं तीन सवाल निकाल पाया हूँ। पहला सवाल तो इन्होंने 15 करोड़ करोड़ की राशि के वितरित न होने का उठाया है। मैं इनको बताना चाहता हूं हो सकता है कि यह राशि वितरित होने की प्रक्रिया में हो और अगर लैप्स हुई है तो हम इसके लैप्स होने के कारणों की जांच-पड़ताल करेंगे। अगर यह राशि किसी अधिकारी के दोष के कारण लैप्स हुई है तो हम इसकी एक रिपोर्ट मंगवाकर देख लेंगे। दूसरी बात माननीय साथी ने वेतन की पूछी है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जहां तक वेतन पर जो खर्चा की जो बात है, स्वाभाविक तौर पर दिखाई देता है कि वेतन की मद भारी है। कई बार इन्होंने व्यक्तिगत मिलकर भी और मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की मीटिंग में भी मेवात मॉडल स्कूल के एक्स्ट्रा बर्डन आफ सेलरीज एण्ड अलाउंसिज के बारे में जिक्र किया है। आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि वेतन का खर्चा इसमें ज्यादा है। हमें कहीं न कहीं लगता है कि इसकी भी हमें रिपोर्ट मंगवानी पड़ेगी और हम रिपोर्ट मंगवाकर देख लेते हैं कि यह सैलरीज अपने आप में जस्टीफाई हैं, रैशनल हैं या ओब्जैक्टिव हैं या नहीं। इसको निश्चित तौर पर हम आगे देखेंगे। तीसरी बात सामुदायिक केन्द्र या कृषि का जो खर्चा है उसमें इनको लगता है कि इसकी डिटेल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको कहना चाहूंगा कि इससे आगे की डिटेल इनको चाहिए तो अगले महीने अप्रैल में जो मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की मीटिंग होनी है उसमें इन सारे आंकड़ों की डिटेल हम इनको उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद भी अगर ये संतुष्ट नहीं हैं तो हम वहीं पर फैसला कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि कहीं कोई गलत हुआ है तो उस पर उचित कार्रवाई बारे मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की मीटिंग में हम फैसला कर सकते हैं।

Health Minister (Shri Anil Vij) : Speaker Sir, I have been mentioned. जाकिर हुसैन जी बार बार सदन में मेवात की स्थिति का मुद्दा उठाते हैं इसलिए मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये पहली बार तो चुनकर नहीं आए हैं बल्कि इनका खानदान तो हमेशा सरकार में रहा है।

श्री जाकिर हुसैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी को बताना चाहूंगा कि मेरे पिता जी केवल 3 साल मंत्री रहे है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मेवात में यदि वाक्य में ही बुरी हालत है तो यह सब दूसरी पार्टियों का किया धरा काम है। हमारी सरकार तो अब आई है और हमने काम करना शुरू भी किया है। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि मैं मेवात में गया और इनके होस्पिटल को चैक करके नहीं आया तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि मैं चैक तब करता हूं जब मैं अनशिडयूल्ड जाता हूं। वहां पर तो मेरा शिडयूल्ड प्रोग्राम था। मैं तो जिस सड़क से निकल जाता हूं वहां 50 किलोमीटर तक अपने आप सफाई हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने इन्कवायरी की बात की है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने हाउस में आश्वासन दिया, मेरे ए.सी.एस. ने लैटर टाइप करवाकर विभाग की टीम को इन्कवायरी के लिए भेज दिया। उसके बाद हम बकायदा किसी एजैंसी से जांच कराएंगें। प्रिलिमिनरी यानि सेम डे इन्कवायरी करवाई जाए, अध्यक्ष महोदय, इतनी क्विक सरकार पूरे हिन्दुस्तान में नहीं आ सकती। अध्यक्ष महोदय, यहां जवाब दिया जा रहा है और वहां कार्रवाई हो रही है। अध्यक्ष महोदय, हम प्रिलिमिनरी जांच कर लेंगे उसके बाद किसी एजैंसी से भी जांच करा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही प्रिलिमिनरी इन्कवायरी पूरी होती है हम इस केस की बड़ी जांच करवाएंगे। वहां पर वाक्य में ही बहुत भारी

अनियमितता हुई है यह बात मैंने उस दिन भी हाउस में कही थी और आज भी कह रहा हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में न किसी को बख्शा है और न ही मैं किसी को बख्शता हूं ।

श्री जाकिर हुसैन: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे परिवार की बात कही है इसलिए मैं उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे पिता जी सारी जिंदगी में केवल तीन साल वजीर रहे हैं। 5 साल के राजस्थान के शासनकाल में 6 महीने मंत्री रहे, 1986-87 में 6 महीने गृह मंत्री रहे हैं तथा उसके बाद चौधरी देवीलाल की सरकार में दो साल मंत्री रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि वे सारी जिंदगी नहीं बल्कि केवल 3 साल ही मंत्री रहे हैं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये दो साल में ही मेवात में कुछ काम करवा लेते क्योंकि उस समय तो सरकारों के पास बहुत पैसा होता था।

श्री जाकिर हुसैन: अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर श्वेत पत्र दे सकता हूं या आप इस बारे में श्वेत पत्र ले आएं। मैं अपने आप को किसी भी इन्कवायरी के लिए सरैंडर करता हूं। वर्ष 1991 में मैं इंडीपैंडेट कैंडीडेट के रूप में जीता था। वर्ष 2000 में मैं कांग्रेस पार्टी से जीता था। अब मैं अभय सिंह चौटाला जी के आशीर्वाद से इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी में बैठा हूं तो फिर हमारा खानदान कहां सरकार में रहा है ?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जाकिर जी को कहना चाहता हूं कि आप राजनीति में तो थे तथा मेवात के लिए लड़ते रहते थे।

श्री जाकिर हुसैन: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हम राजनीति में तो थे।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के नजदीक होते हुए भी मेवात आजादी से 100 साल पीछे है। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां सब कुछ देखकर आया हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी मेवात को ऐट पार लाने के लिए रोजाना चिंतत होते हैं। इस अस्पताल की इन्क्वायरी के बारे में मैंने माननीय सदस्य को सदन से बाहर कहा था कि इसके जो भी दस्तावेज आपके पास हैं, वे आप मुझे मुहैया करवा दें हम अवश्य जांच करायेंगे लेकिन इन्होंने एक पर्ची तक मुझे नहीं दी है।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सफाई के बारे में कहा है कि ये जहां से जाते हैं उसके आस पास 50 कि.मी. तक सफाई हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री जी को मेवात में गब्बर सिंह कोई नहीं मानता। अंबाला और करनाल में इनको गब्बर सिंह मानते होंगे और कलेशर के शेर इनसे डरते होंगे। लेकिन मेवात के चूहे भी नहीं डरते। अध्यक्ष महोदय, जो तस्वीरें हैं ये मंत्री जी के दौरे के बाद की हैं। मेरी पत्नी उस होस्पिटल में एडमिट रही थी जिसके बारे में माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने भी कहा था लेकिन उस होस्पिटल की कोई जांच नहीं करवाई गई। अध्यक्ष महोदय, यदि इसमें कहीं भी झूठ हो तो मैं रिजाईन कर सकता हूं। चीफ सक्रेटरी साहब भी वहां पर गये थे मंत्री जी अपने चैम्बर में जाकर उनसे तो जानकारी ले सकते हैं कि वहां के क्या हालात थे। जहां तक गब्बर सिंह वाली बात हैं तो इस बारे में मैं ज्यादा कुछ कहूंगा तो असंसदीय हो जायेगा इसलिए मैं जिक्र नहीं करूंगा। जो ये तस्वीरें हैं ये मंत्री जी के दौरे के बाद की हैं। जिस बैड पर मेरी पत्नी लेटी थी उस पर खून लगा हुआ था। इसीलिए हमें दुख हो रहा है कि मंत्री जी के जाने पर भी वहां कोई सफाई नहीं हुई।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, न तो मैंने अपने को गब्बर सिंह कहा और न ही माननीय सदस्य को चूहा कहा? फिर मेरे साथी किस लिए ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने तो इस बारे में कुछ नहीं कहा। गब्बर सिंह मैंने नहीं कहा, इनके नेता ने कहा है।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 22.11.2014 की चिट्ठी है जो डायरैक्टर जनरल को उस होस्पिटल के डायरैक्टर ने लिखी है। जिसमें जिक्र किया गया है कि वहां का ए.सी., एस.टी.पी., फायर फाईटिंग सिस्टम आदि नहीं चल रहे। इसके अतिरिक्त उसमें यह भी जिक्र है कि वहां के इलैक्ट्रिक सिस्टम में भी फाल्ट है और सिविल वर्क भी ठीक नहीं है। यह सारी जानकारी मैं सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय मंत्री जी इसकी पी.डब्ल्यू.डी. महकमें से जांच करवा लें। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर पदासीन हुई)**

श्री अनिल विज: उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय साथी को आश्वस्त करता हूं कि ये मुझे कागज दें हम इसकी विजिलैंस से जांच करवा देंगे। हम किसी भी भ्रष्टाचारी को माफ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह हमारी सरकार का पहले दिन से वायदा है। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय साथी को कहा था कि मुझे इसके दस्तावेज मुहैया करवायें हम इसकी पूरी जांच करवायेंगे।

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, मैं इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से इस रिप्लाई में जो मायनोरिटी का खर्चा बताया गया है उसमें भी बहुत कम खर्चा हुआ है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन सभी मामलों की जांच करवा लें और 4 अप्रैल को जैसा इन्होंने वायदा किया है इसके टोटल वर्क्स की डिटेल हमें दे दें। उसके बाद उसमें जो गड़बड़ हैं उनकी जानकारी मैं दे दूंगा। इसी तरह से 2009 से लेकर 2014 तक जो पूर्व कांग्रेस के मंत्री नूंह से विधायक थे उन्होंने इसमे बहुत घपले बाजी की है। इसके डाटा के बारे में मंत्री जी मेरे से ज्यादा जानते हैं । मेरा अनुरोध है कि पिछले पांच सालों में जो वहां घपले हुए है उसकी भी मंत्री जी जांच करवा लें।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जब से अस्पताल का सिलान्यास हुआ है तब से लेकर आज तक की सारी जांच हम विजिलैंस से करवा देंगे।

श्री नसीम अहमद : उपाध्यक्ष महोदया, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश है कि पंचायत विभाग की भी जांच करवाई जाये। पंचायत विभाग में चण्डीगढ़ से जितने फंड रिलीज किए गए हैं उनकी सबकी जांच करवाई जाए ताकि पता चले कि किस तरीके से पिछली सरकार के समय में गड़बड़ी हुई है और अब भी वहां ऐसा ही हो रहा है।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, प्रश्नकाल का उपयोग प्रश्नकाल के रूप में ही होना चाहिए। दूसरे माननीय सदस्यों के भी प्रश्न लगे हुए हैं। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 4 अप्रैल को मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की मीटिंग है। उसके उस मीटिंग में माननीय सदस्य ने अपेक्षा की है वहां पर सारी डिटेल लेकर आयेंगे। उस डिटेल के आधार पर जो निर्णय बोर्ड करेगा उसी के मुताबिक कार्यवाही की जायेगी। बोर्ड हर प्रकार के निर्णय करने में सक्षम है, वह अपना निर्णय कर लेगा।

Bad Condition of Drainage System

***1269. Shri Asecm Goel :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that due to lack of proper drainage system, water accumulates in the various parts of Ambala City during rainy season; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide proper drainage system in the Ambala City togetherwith details thereof ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : नही श्रीमान जी। अम्बाला शहर में उचित सीवरेज और निकास प्रणाली मौजूद है। फिर भी निकास प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए दो अनुमानों 834:00 लाख रुपये और 219:00 लाख रुपये के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।

श्री असीम गोयल : माननीय डिप्टी स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि अम्बाला शहर का जो स्ट्रक्चर है अर्थात जो नक्शा है वह एक कटोरे की तरह है यानि साईडों से ऊंचा है और बीच में से गहरा है। यह सवाल मैंने पिछले सैशन के दौरान भी उठाया था। बरसात के मौसम में अम्बाला शहर के अंदर सारे बाज़ारो और सारे पुराने रिहायशी इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि इसी विशेषता के कारण वहां पर एक इलाके को नदी मौहल्ला के नाम से जाना जाता है। यह ऐसे ही नहीं है बल्कि वह मौहल्ला वास्तव में ही बरसात के मौसम में नदी का रूप धारण कर जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अम्बाला शहर को ऐसी हालत से बाहर निकालने के लिए साढ़े बाईस करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। यह दूसरी बात है कि इस राशि में से अभी तक वहां पर कोई राशि नहीं पहुंच पाई है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अम्बाला शहर में हुडा क्षेत्र को छोड़कर पीने के पानी के 35 हज़ार कनैक्शन हैं। इसके विपरीत अभी तक सीवरेज़ के केवल मात्र साढ़े चार हज़ार कनैक्शन लोगों ने लिये हैं। इसका कारण यह है कि वहां के लोगों को यह डर है कि पुरानी कांग्रेस सरकार ने जो अम्बाला शहर के अंदर सीवरेज़ सिस्टम डलवाया है, उसमें सही क्वॉलिटी का मैटीरियल यूज़ नहीं किया गया है इसलिए अगर सारे शहर के सीवरेज़ का लोड इस सिस्टम पर डाल दिया गया तो कहीं ऐसा न हो जाये कि यह सारे का सारा सीवरेज़ सिस्टम जाम ही न हो जाये। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री को यह अनुरोध करूंगा कि इस सारे के सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये क्योंकि जो सीवरेज़ सिस्टम अम्बाला शहर में डाला गया है उसके बजट की 6 से 7 बार इनहांसमैंट हुई है आप अम्बाला शहर के किसी भी व्यक्ति से सीवरेज़ का कनैक्शन न लेने का कारण पूछ सकते हैं और वह आपको यही कारण बतायेगा कि हम इसलिए सीवरेज़ कनैक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर हम सभी ने इसका कनैक्शन ले लिया तो यह जाम हो जायेगा और यह सीवरेज़ का पानी हमारे घरों में और ड्रिंकिंग वॉटर पाईपलाईन में चला जायेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बार-बार यही निवेदन है कि इस सारे के सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये क्योंकि इसमें पिछली सरकार के समय में एक बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है।

श्री घनश्याम सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि कालका चौंक, गणेश विहार, सरस्वती विहार इत्यादि तीनों कालोंनियों के सीवरेज़ और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 625 लाख रूपये के एस्टीमेट्स हमने तैयार करवा लिये हैं। जो माननीय सदस्य ने गहराई वाले क्षेत्रों की बात की है वहां से हम बरसात के पानी को लिफ्ट से निकलवाने की व्यवस्था करवायेंगे और अम्बाला शहर के जो दूसरे काम है उनको दूसरी योजनाओं जैसे Atal Mission for Urbanisation एवं Urban Transparention से करवाया जायेगा। इसकी डी.पी.आर. बनाने के लिए शहरी निकाय विकास निगम ने कंसलटैंट नियुक्त कर दिये हैं।

श्री असीम गोयल : माननीय डिप्टी स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से पुन: माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिसके बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि कालका चौंक, गणेश विहार, सरस्वती विहार इत्यादि तीनों कालोनियों के सीवरेज़ और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 625 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में मैंने अभी 15 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की थी क्योंकि इन कालोनियों के लोग इस समस्या से काफी लम्बे समय से त्रस्त थे और बारिश के दिनों में वहां पर कम से कम 6-6 फुट पानी गलियों में खड़ा हो जाता था। मैं इसके लिए सरकार का फिर से धन्यवाद करता हूं लेकिन मैं इसके लिए आपको पुन: और बार-बार आग्रह करना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय जो अम्बाला में सीवरेज़ सिस्टम का घोटाला हुआ उस घोटाले की जांच किसी उच्च स्तरीय जांच कमेटी से करवाई जाये। जो अभी माननीय मंत्री जी ने "अमरूत" के बारे में बताया कि अम्बाला शहर में उसके तहत कार्य करवाए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए भी मैं आपका बार-बार धन्यवाद करता हूं । इसके साथ-साथ जैसा मैंने पहले भी कहा है मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मुझे इस सीवरेज़ महाघोटाले की उच्च स्तरीय जांच का इस महान सदन के पटल पर ठोस आश्वासन दें।

श्री घनश्याम सर्राफ : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य बार-बार इन्कवायरी की बात कह रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारे विभाग की एक विजिलैंस इन्कवायरी होती है मैं इसकी जांच उससे करवा दूंगा। जहाँ तक लिफ्ट सिस्टम की बात है तो हम इनकी सारी गंदगी लिफ्ट के माध्यम से उठवा देंगे चाहे कहीं पर सीवरेज नीचा है या ऊंचा है। हमारा यही प्रयास है कि लोगों को किसी प्रकार की असुविध न हो। अब तो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 10 हजार की आबादी वाले गांवों में भी सीवरेज सिस्टम शुरू करने जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है।

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदया, लिफ्ट सिस्टम से गंदगी उठवाने के आश्वासन पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वहाँ पर सही मायने में इसकी जरूरत है।

To provide Basic Amenites

***1251. Shri Naresh Kushik :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide basic amenities like sewerage, water and electricity on the patteren of cities in the village Kasar, Sankhol, jakhoda, Balaur, Beer-Barkhatabad and Sarai Aurangabad of Bahadurgarh Constituency whose land has been acquired by HSIIDC and HUDA; if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नही श्रीमान जी, इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेश कौशिक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बहादुरगढ़ के सांखोल, बीर-बर्ख्ताबाद, जाखोदा, बालौर तथा सराय-औरंगाबाद गांवों में वर्ष 2002 में सस्ते दामों पर एच.एस.आई.आई.डी.सी. और हुडा के द्वारा जमीन अधिग्रहण की गई थी। आज उस जमीन की मार्किट में कीमत 5 करोड़ रूपये प्रति एकड़ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से निवेदन है कि वहाँ पर सीवरेज और पीने के पानी की व्यवस्था करके कृतार्थ करें।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, उद्योग विभाग के अन्तर्गत एच.एस.आई.आई.डी.सी., इंडस्ट्रियल इस्टेट डिवैल्प करती है तथा उसके लिए जमीन का अधिग्रहण करती है। जिन गांवों की जमीन का अधिग्रहण होता है उसके अनुसार जमीन की कुल कीमत का1 प्रतिशत उन गांवों में स्किल डिवैल्पमैंट के लिए खर्च करने का प्रावधान है। इसी तरह से उस पर जो टोटल डिवैल्पमैंट कॉस्ट लगती है उसका1 प्रतिशत उन गांवों में विभिन्न प्रकार के विकास के कार्यों के लिए खर्च करने का भी प्रावधान है। जहाँ तक विकास के कार्यों की बात है तो 1 करोड़ 45 लाख रूपये में से 1 करोड़ 05 लाख रूपये अब तक खर्च किये जा चुके हैं तथा 40 लाख रूपये बचे हुये हैं और उनके भी प्रस्ताव आ रहे हैं वह भी जल्दी ही विकास के विभिन्न कार्यों पर खर्च किये जा सकते हैं। इसी तरह से स्किल डिवैल्पमैंट के लिए 80 लाख रूपये की राशि है उसकी भी योजना बनाई जा रही है कि इन गांवों में किस प्रकार स्किल डिवैल्पमैंट दी जा सकती है और किसके माध्यम से दी जा सकती है। हमारा स्किल डिवैल्पमैंट मिशन अब नया बना है। उसी के तहत एच.एस.आई.आई.डी.सी. का प्रस्ताव है कि उसके माध्यम से उन गांवों में जो नौजवान हैं उनकी स्किल डिवैल्प करने में यह राशि खर्च की जाये। इसके अतिरिक्त एच.एस.आई.आई.डी.सी. की तरफ से कोई भी राशि खर्च करने का प्रावधान नहीं है। माननीय विधायक संबंधित विभागों से बात करके इस प्रकार के विकास के कार्य करवा सकते हैं।

श्री नरेश कौशिक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वे कौन-कौन से गांव हैं जहाँ पर यह राशि उपलब्ध करवाई गई है?

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि गांव कसार में 53 लाख 89 हजार रूपये की राशि श्मशानघाट, जोहड़, स्कूटर स्टैंड, फिरणी के लिए, शिव मंदिर के रास्ते पर मिट्टी डालने के लिए, पार्क में मिट्टी डालने आदि कार्यों पर खर्च की गई है। इसी प्रकार से गांव सांखौल में 4 लाख 52 हजार रूपये की राशि गांव की गलियों को सीमेंट और कंक्रीट की बनाने के लिए खर्च की गई है। गांव जाखौदा में 47 लाख 14 हजार रूपये की राशि इसी प्रकार के विभिन्न कार्यों पर खर्च की गई है। इस समय मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार इन सभी गांवों में ये विकास के काम पूरे किये जा चुके हैं।

श्री टेकचन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरीके से एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा एक आई.एम.टी. फरीदाबाद में भी खुला है। वहां पर 26 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन ली गई थी। मैंने इस संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय भी कहा था कि जिन पांच गांवों की जमीन इस आई.एम.टी. के लिए ली गई है उन पांच गांवों के नौजवानों को वहां की फैक्ट्रियों में रोजगार में 33 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाए। इसके लिए वर्ष 2013 और वर्ष 2014 में दो बार एग्रीमेंट भी हुए हैं और डी.सी. के साइन भी हुए हैं। जिसके कागज पत्र मैंने सदन के पटल पर भी रखे थे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर आज तक कितनी फैक्ट्रियां खुली हैं और उनमें कितने लोकल बच्चे लिये गये हैं।

कैप्टन अभिमन्यु: उपाध्यक्ष महोदया, यह बड़ा सैप्रेट प्रश्न है मैं इसकी जानकारी उपलब्ध करा कर माननीय सदस्य को अलग से उपलब्ध करा सकता हूं।

श्री टेकचन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने यह प्रश्न पिछले सैशन में भी पूछा था। इसमें बाकायदा डी.सी. के माध्यम से दो बार एग्रीमेंट हो चुके हैं लेकिन वहां एक भी लोकल बच्चा नहीं लगाया गया।

Involvement in C.L.U. Cases

***1237. Shri Abhay Singh Chautala :** Will the Chief Minister be pleased to state whether FIRs have been registered on the recommendations of Lokayukta, Haryana for involvement in CLU cases againts Ministers, Chief Parliamentary Secretaries and MLAs of the previous Government; if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : हां, श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

लोकायुक्त, हरियाणा की सिफारिश पर सी0एल0यू0 मामलों में 5 मुकदमें पिछली सरकार के मंत्रियों, मुख्य ससंदीय सचिवों व विधायकों के विरुद्ध दर्ज किये गये हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	अभियोग संख्या, दिनांक, धारा व थाना राज्य चौकसी ब्यूरो	विरुद्ध	आरोप	वर्तमान स्थिति
1	10 दिनांक 4-12-2014 धारा 7, 8,13,(1) डी0 पी0सी0 एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला।	श्री राम किशन फौजी, तत्कालीन संसदीय सचिव, हरियाणा सरकार।	श्री राम किशन फौजी, तत्कालीन संसदीय सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जमीन की सी0एल0यू0 की अनुमति के लिए 5 करोड़ रु0 रिश्वत की मांग करना।	अनुसंधानाधीन
2	03 दिनांक 29-1-2016 धारा 7,8,13 (1) डी0पी0सी0 एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी गुड़गांव।	श्री राव नरेन्द्र सिंह, तत्कालीन कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार।	श्री राव नरेन्द्र सिंह लोक सेवक होते हुये भूमि के उपयोग की प्रकृति को तबदील कराने के लिये अपने पद का दुरुपयोग करते हुये स्वयं व अन्य को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये रिश्वत की मांग करने बारे।	अनुसंधानाधीन
3.	08, दिनांक 29-1-2016 धारा 7,8,13 (1) डी0पी0सी0 एक्ट 1988 120 बी0भा0द0 स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।	1. श्री विनोद भ्याणा, तत्कालीन मुख्य संसदीय सचिव। 2. श्री भुवनेश कुमार अहलावादी।	सी0एल0यू0 की अनुमति दिलवाने के लिये नाजायज तौर पर रिश्वत की मांग बारे।	अनुसंधानाधीन
4.	09, दिनांक 29-1-2016 धारा 7,8,13 (1) डी0पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।	1. श्री जरनैल सिंह, तत्कालीन मुख्य संसदीय सचिव।	सी0एल0यू0 की अनुमति दिलवाने के लिये नाजायज तौर पर रिश्वत की मांग बारे।	अनुसंधानाधीन
5.	10, दिनांक 29-1-2016 धारा 7,8,13 (1) डी0पी0सी0 एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।	1. श्री नरेश सेलवाल, पूर्व विधायक	सी0एल0यू0 की अनुमति दिलवाने के लिये नाजायज तौर पर रिश्वत की मांग बारे।	अनुसंधानाधीन

उपाध्यक्ष महोदया, नेता प्रतिपक्ष ने एक बहुत गम्भीर प्रश्न किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोकायुक्त की सिफारिश पर जो पिछली सरकार के कुछ मंत्री और चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी और एम.एल.एज. के खिलाफ सी.एल.यू. के बारे में एक शिकायत की गई थी क्या उसकी एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इसकी एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है। मैं उसमें से कुछ संक्षेप में बताना चाहूंगा कि यह पूरा मामला 6 सितम्बर 2013 को प्रकाश में आया था। उस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायक दल ने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक मैमोरेंडम प्रस्तुत करके इन तमाम आरोपी लोगों के खिलाफ कुछ प्रमाण और सबूत देते हुए जांच का आहवान किया था। यह मामला विधान सभा में भी उठा था जिसका जिस बारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने लोकायुक्त जांच का विश्वास भी दिया था। उसके बाद लोकायुक्त को जांच सौंपी गई। लोकायुक्त ने 20 जनवरी 2014 को आदेश पारित किया कि तीन महीने में इस पर कार्रवाई की जाए और 20 जनवरी 2014 को ही लोकायुक्त ने रिक्मंड करते हुए प्रिवैन्शन आफॅ क्रप्शन एक्ट 1988 के तहत इस पर आगे कार्रवाही करने का निर्देश भी दिया। लोकायुक्त ने एक सीनियर पुलिस आफिसर को इन्वैस्टीगेट करने के लिए निर्देश दिये जिसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट तीन महीने में प्रस्तुत करनी थी लेकिन उसी प्रकार से प्रक्रिया चली जैसे पिछली सरकार का अपना चरित्र था। वह जांच को लम्बा खींचते रहे और लोकायुक्त के निर्देशों का पालन न करते हुए फाईलों को इधर-उधर घुमाते रहे जिसके कारण उस समय इस मामले पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से संक्षेप में बताना चाहता हूं कि इसमें पांच आरोपी हैं जिसमें एक आरोपी एक्स चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी श्री रामकिशन फौजी हैं जिनके खिलाफ 4.12.2014 को एफ.आई.आर. दर्ज की गई है और जिसके कम्प्लेनेंट स्वयं नेता प्रतिपक्ष हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने दिल्ली-जयपुर रोड़ गुड़गांव पर एक जमीन की सी.एल.यू. कराने के लिए पांच करोड़ रूपये की राशि मांगी थी। इसी प्रकार 29 जनवरी 2016 को जो चार अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी अलग-अलग एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं जिसमें पूर्व मंत्री राव नरेन्द्र सिंह जी भी हैं, विनोद भ्याना दैन चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी और उनका साथी भुवनेश कुमार अहलावादी है। **(इस समय अध्यक्ष महोदय चेयर पर आसीन हुए।)** इनके उपर भी चेंज ऑफ लैंड यूज कराने के लिए पैसे मांगने का आरोप है। श्री विनोद भ्याना और उनके सहयोगी के उपर सीधे तौर से दिल्ली जयपुर रोड़ पर सी.एल.यू. कराने के लिए अढ़ाई करोड़ रूपये मांगने का आरोप है। श्री जरनैल सिंह जो कांग्रेस के समय मुख्य संसदीय सचिव होते थे, उन पर श्री अशोक अरोड़ा, पूर्व विधायक की शिकायत पर फरीदाबाद में एक सी.एल.यू. के लिए तीन करोड़ रुपये की राशि मांगने का आरोप है। श्री नरेश सेलवाल, कांग्रेस सरकार में विधायक थे उनके उपर गुड़गांव के गांव कनई में सी.एल.यू. की एवेज में 10 करोड़ रुपये की राशि मांगने का आरोप है। इनके साथ-साथ यदि सी.एल.यू. घोटाले में और भी व्यक्तियों के नामों को पढ़कर मैं सुनाने लग जाउंगा तो मैं समझता हूँ कि सदन में दिये जाने वाला मेरा उत्तर काफी लंबा हो जायेगा। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में माननीय मंत्री जी को इंट्रप्ट कर रहा हूँ। जैसाकि इन्होंने अभी कहा कि यदि सी.एल.यू. कांड में लिप्त सभी व्यक्तियों का नाम बताना शुरू कर दिया जायेगा तो इनका उत्तर लंबा हो जायेगा। यह बात बिल्कुल ठीक है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं यह बात स्वीकार की है कि यह मामला बहुत चिंताजनक और सीरियस है। यह मामला सीरियस इसलिए है क्योंकि इसमें तत्कालीन कांगेस सरकार में शामिल

व्यक्तियों द्वारा अवैध ढंग से सी.एल.यू. के नाम पर आम लोगों से पैसे मांगे गये थे। इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि पिछली सरकार इस विषय को जानबूझकर लटकाना चाहती थी। यह बात भी उनकी ठीक है क्योंकि सी.एल.यू. कांड में लिप्त व्यक्ति उनकी अपनी पार्टी के सदस्य थे। अत: कांग्रेस सरकार उनको बचाना चाहती थी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस केस में कोई प्रगति नहीं होने दी गई। अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए डेढ़ वर्ष हो चुका है और इतने समय के बावजूद भी इस सी.एल.यू. मामले के दोषियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है और यही नहीं जिस तरह से आज माननीय वित्त मंत्री जी जब सदन में अपना उत्तर दे रहे थे तो उस उत्तर में सी.एल.यू. कांड में लिप्त तत्कालीन कांग्रेस सरकार के महज पांच व्यक्तियों के नाम गिनवाये गये यानी किसी न किसी तरीके से माननीय वित्त मंत्री जी को भी गुमराह किया गया है। इस सी.एल.यू.कांड में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पांच लोग नहीं बल्कि छह लोग शामिल थे। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी तो सदन में पांच विधायकों और एक सहयोगी का नाम लिया है। इस प्रकार टोटल संख्या तो छह हो जाती है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस सी.एल.यू. कांड में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के छह व्यक्ति शामिल हैं। इनमें कुछ मंत्री है और कुछ विधायकों का नाम शामिल है। मैं उन सभी के नाम सिलसिलेवार सदन के समक्ष बताना चाहूँगा। पहला नाम श्री रामकिशन फौजी का है जो उस समय मुख्य संसदीय सचिव हुआ करते थे, दूसरा नाम तत्कालीन कांग्रेस सरकार के नारनौल से विधायक व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेन्द्र सिंह का है, तीसरा नाम तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे, श्री विनोद भ्याना का है, चौथा नाम तत्कालीन कांग्रेस सरकार में उकलाना से विधायक रहे श्री नरेश सेलवाल का है, पांचवा नाम तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे श्री जरनैल सिंह का है और छठा नाम तत्कालीन कांग्रेस सरकार में बरवाला से विधायक श्री राम निवास घोड़ेला का है। इन सभी छह लोगों के खिलाफ सी.एल.यू. के लिए पैसे मांगने की शिकायत लोकायुक्त के पास दी गई थी। माननीय वित्त मंत्री महोदय सदन में जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं उसमें उनको तत्कालीन कांग्रेस सरकार में शामिल छह लोगों के नाम न देकर, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी उन लोगों के पूरे दस्तावेज भी माननीय मंत्री जी को मुहैया नहीं करवाये गये हैं। इस बात से पता चलता है कि सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है। कहीं न कहीं सरकार को भी इस विषय पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब तो यह भी निकलता है आपके अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति इस सी.डी.कांड में लिप्त छठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है अध्यक्ष महोदय, हमने केवल छह लोगों के नाम ही नहीं दिये थे बल्कि इनके अतिरिक्त तीन और अन्य लोगों के नाम सी.एल.यू. की एवज में पैसा मांगने के आरोप में दिये गये थे। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, इस स्टेज पर मेरे लिए नेता प्रतिपक्ष की एक बात को स्पष्ट करना बहुत जरूरी हो गया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो प्रश्न है वह सी.एल.यू. मामले को लेकर है। सी.एल.यू. मामले में जो दोषीगण हैं उनमें पांच जन प्रतिनिधि है और छठा व्यक्ति इन जनप्रतिनिधियों में से एक का सहयोगी है। जहां तक नेता प्रतिपक्ष ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार

[कैप्टन अभिमन्यु]

में विधायक रहे श्री राम निवास घोड़ेला का नाम लिया है तो उस परिपेक्ष्य में मैं उनको बताना चाहूँगा कि श्री राम निवास घोड़ेला पर जो आरोप है वह आरोप सी.एल.यू. से अलग हटकर हैं। इन पर सर्वशिक्षा अभियान के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, इसलिए मैंने सदन में जो उत्तर दिया है उसमें केवल सी.एल.यू. कांड में लिप्त शामिल लोगों के ही नाम बताये हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस सी.एल.यू कांड से जुड़े तीन और नाम भी हमने उजागर किए थे। उसमें पहला नाम तत्कालीन कांग्रेस सरकार में नलवा के विधायक श्री संपत सिंह और उनके बेटे का नाम था, दूसरा नाम तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हथीन से विधायक और मुख्य संसदीय सचिव रहे श्री जलेब खान का तथा उनके बेटे का नाम था जिसकी पैसे मांगते हुए सी.डी. भी बनी हुई है तथा तीसरा नाम कांग्रेस के पूर्व युवा प्रधान श्री संजय छौक्कर का नाम हमने इस सदन में दिया था। इन सबकी पूरी डिटेल हमने सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी और सरकार द्वारा इस मामले की जांच करवाने का पूरी तरह से आश्वासन दिया गया था लेकिन अब तक सी.एल.यू. मामले में लिप्त पांचों दोषी जिनका माननीय वित्त मंत्री ने अभी जिक्र किया है, के खिलाफ भी सरकार के पिछले डेढ़ साल के कार्यकाल में कोई कार्रवाई नहीं की गई है इसके क्या कारण रहे हैं। पिछले सत्र में तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा यह कहा जाता था कि कांग्रेस सरकार ने इन लोगों को बचाने की कोशिश की, स्वाभाविक है कि यह उनकी पार्टी के सदस्य थे लेकिन अब डेढ़ साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तो इनके खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Bridge

***1256. Shri Sri Krishan Hooda :** Will the PW Minister be pleased to state whether the bridge over Bhalout Branch on Kharkhoda road is under Construction by HERDC; if so, the time by which it is likely to be completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हां श्रीमान जी। गोहाना-खरखौदा सड़क पर भालौठ उप शाखा के उपर इस्पात पुल का निर्माण 31 मई, 2016 को पूरा होने की संभावना है।

Water upto Tails

***1368. Shri Ranbir Singh Gangwa:** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there it is a fact that the water is not reaching up to the tails of canals; if so the steps taken by the Government to supply the water upto the tail in Balsamand Distributary, Sarsana Minor, Newsarsana Minor, Bherian Minor and O.P. Jindal Minor togetherwith the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी, इसलिए प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता।

Construction of Water Works

***1291. Shri Makhan Lal Singla :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct water works to meet out the problem of drinking water in village Kukarthana of Sirsa Constituency; if so, the details thereof ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : नहीं, श्रीमान जी । गांव कुक्कड़थाना में 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है तथा पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है।

"Canal Based Drinking Water Supply"

***1196. Shri Balwan Singh Daulatpuria :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply the canal based drinking water in Police Line of District Fatehabad; if so, the time by which it is likely to be supplied ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : नहीं, श्रीमान जी, एक अनुमान 523.33 लाख रुपये का तैयार किया गया है। यह कार्य गृह विभाग द्वारा अपेक्षित धनराशि के जमा करने के बाद दो साल के अन्दर पूरा हो जाएगा।

Repair of Loharu-Satnali Road

***1051. Smt. Kiran Choudhary :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the State Government to repair Loharu-Satnali road; and

(b) if so, the time by which the above said road is likely to be repaired?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :-

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) वर्ष 2016-17 में लोहारु-सतनाली सड़क की मुख्य मरम्मत प्रस्तावित है और इस वक्त समय सीमा नहीं दी जा सकती।

Grants Under HRDF

***1328 Shri Udai Bhan:** will the Development and Panchayats Minister be pleased to state the amount of grant allocated for the development works under the HRDF in all the assembly constituencies of the State during the year 2015-16?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, एच0आर0डी0एफ0 के तहत विकास कार्यों के लिए अनुदान गांव-वार आवंटित किया जाता है।

Construction of By-Pass

***1002. Dr. Hari Chand Middha:** will the PW (B &R) Minister be pleased to state the time by which the under construction bye-pass of Jind city is likely to be completed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : जीन्द शहर के बाईपास का निर्माण, जींद रोहतक सड़क से जींद नरवाना सड़क के पूर्वी ओर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 71 के पंजाब सीमा से जींद को चारमार्गीय करने की परियाजना के अधीन किया जाना है। इस बाईपास को पूरा करने की समय सीमा अभी निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए अभी निविदाएं पुन: आमंत्रित करनी है।

Problem of Water Logging

***1010. Shri Kehar Singh :** Will the Irrigarion Minister be pleased to state:-

(a) whether there is a fact that Kanauli, Shahroli, Mandkola, Naurangbad, Jitakhedli, Madnaka, Bigawali, Ribad Akbarpur Natol, Mathhepur, Chhayansa, Mehluka, Ahrema, Jalalpur, Meerpur, Huchpuri villages of Hathin constituency are affected with the problem of water logging; and

(b) if so, the time by which the abovesaid problem of water logging is likely to be solved togetherwith the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :-

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) गांव के विभिन्न दलो के बीच बाढ़ के पानी के बाहव को लेकर लम्बित विवाद के कारण हसनपुर, उलेटा, कानोली और खेरली जीता गांवों में इस समस्या को हल करने के लिए 22.88 लाख रुपये की स्वीकृत अनुमानित राशि की योजना को लागू करना अभी लम्बित है। बाकी बचे गांवों में यह मुद्दा जांच के अधीन है।

Construction of Water Tank

***1017. Shri Anoop Dhanak :** will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that the existing water tank constructed in water works in village Sotha in Uklana constituency is insufficient; if so, whether ther is any proposal under consideration of the Government to construct an another water tank of the said village togetherwith the details thereof ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : जी हां, श्रीमान जी। गांव सौथा में पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करने हेतू एक अन्य पानी की टैंकी के निर्माण के लिए 12.30 लाख रुपये की लागत का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Vacant Post of Doctors in Mewat

***1380. Shri Rahis Khan :** Will the Health Minister be pleased to state:-

(a) the details of vacant post of Doctors, Staff Nurse, ANM/GHM, MPHS, MPHW (M) (F) and other staff of Health Department in district Mewat togetherwith department Sub-centre/CHC/Gen. Hospitalwise details thereof; and

(b) the time by which these vacant posts are likely to be filled up?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

(क) श्रीमान जी, जिला मेवात में स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकों स्टाफ नर्स, ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/एम0पी0एच0एस0, एम0पी0एच0 डब्लयू (पुरुष) (महिला) तथा अन्य अमले के रिक्त पदों का सब सैन्टर/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामान्य अस्पतालवार ब्यौरा निम्न है:-

क्रम सं0	संस्था का नाम	रिक्त पद						
		चिकित्सक (एस०एम० ओ०,एम० ओ०,एस० डी०एस०, डी०एस० शामिल)	स्टाफ नर्स	एम०पी०एच० एस (महिला)	एम०पी०एच० डब्ल्यू (महिला)	एम०पी० एच०एस० (पुरुष)	एम०पी० ए० डब्ल्यू (पुरुष)	अन्य अमला
1.	सिविल सर्जन कार्यालय	6						1
2.	नागरिक अस्पताल माण्डी खेड़ा	10	36	-	-	-	-	17
3.	सी0एच0सी0, नूह	4	9	2	2	2	8	5
4.	सी0एच0सी0 फिरोजपुर झिरका	8	2	2	2	2	7	9
5.	सी0एच0सी पुन्हाना	4	6	0	1	0	5	7
6.	पी0एच0सी0 घासेडा	0	2	0	1	0	6	2
7.	पी0एच0सी0 उजीना	2	2	1	1	1	6	2
8.	पी0एच0सी0 एम0पी0 अहीर	1	2	0	0	0	4	1
9.	पी0एच0सी0 तावडू	2	1	1	1	1	5	3
10.	पी0एच0सी0 जुरासी	0	1				-	2
11.	पी0एच0सी0 सुडाक	2	2	-	-	-		2
12.	पी0एच0सी0 बाई	1	2	-	-	-	-	2
13.	पी0एच0सी0 पडेनी	1	2	2	-	-	-	2
14.	पी0एच0सी0 बीवन	1	2	1	1	1	5	3
15.	पी0एच0सी0 मरोरा	2	2	1	1	1	6	2
16.	पी0एच0सी0 नगीना	2	2	0	1	0	6	1
17	पी0एच0सी0 पिनगवां	3	2	0	1	0	7	4
18.	पी0एच0सी0 सिंगर	2	2	1	1	1	37	3
19.	पी0एच0सी0 बिछोर	2	2	-	-	-	-	3
20.	पी0एच0सी0 तिगांव	1	2	1	1	1	6	3
21.	पी0एच0सी0 शिकरवा	3	2	-	-	-	-	3
22.	पी0एच0सी0 जमालगढ	3	2					3

(ख) जब भी नई भर्ती होगी रिक्त पदों को भरने के लिये प्रयास कर लिये जायेंगे ?

Supply of Water upto the Tails

***1338. Shri Om Parkash Barwa :** Will the Irrigation Minister be pleased to state steps taken by the Government to repair the Sora, Jhumpa, Damkora and Loharu distributories and linked minors in Loharu Assembly constituency togetherwith the steps taken to supply the water upto the tails of the said distributories?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : सोरा, झुम्पा, दमकोरा, लोहारु रजबाहों व इनकी माइनरों के पुनर्निर्माण के कार्य को अगले 3-4 सालों में बजट की उलब्धता के आधार पर पूरा किया जाएगा। लोहारु फीडर बुर्जी 0-49700 जो सोरा, झुम्पा, दमकोरा व लोहारु रजबाहों को पानी पहुंचाने वाली मुख्य नहर है उसको ₹ 4048.00 लाख की लागत से लाइनिंग (पक्का करने) का कार्य पूरा कर लिया गया हैं इसके परिणामस्वरूप नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए 30.00 क्यूसिक पानी की बचत होगी।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To Maintain the Historical Bir

326. Dr. Hari Chand Middha : Will the Forest Minister be pleased to state the steps taken by the Government to maintain the Historical Bir (Sanctuary) of the Jind city togetherwith the amount spent on it?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :-

श्रीमान जी, जीन्द शहर के ऐतिहासिक बीड़ के रख-रखाव के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पग उठाए गए है:-

(i) प्रकृति शिक्षा और जागरुकता पार्क की स्थापना।

(ii) बीड़ के आसपास के किसानों की फसलों के नुकसान को रोकने के लिये वन सीमा के साथ जालीदार बाड़ लगाना।

(iii) बीड़ में देशी और फलदार पौधों का पौधारोपण।

(iv) बीड़ में वन्य जीवों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिये जल निकायों का निर्माण।

(v) बीड़ में आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए फायर लाईन्स का रखरखाव।

(vi) आगन्तुकों के लिये रास्तों और प्रकृति पगडंडियों का निर्माण।

(vii) सार्वजनिक सुविधाओं जैसे पीने का पानी और शौचालय आदि का निर्माण।

(viii) विस्तर और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान उपरोक्त कार्यों पर 42.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

Contamination of Drinking Water

307. Shri Rajdeep Phogat : will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether is any proposal under consideration of the Government to check the mixing of sewerage water into drinking water in Dadri city; if so, the time by which it is likely to be checked?

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) :-

सरकार के पास इस सम्बंध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। जब कभी पीने के पानी के प्रदूषण की शिकायत मिलती या ध्यान में आती है उसे तुरन्त सुधार दिया जाता है।

To Empanel CA in Urban Local Bodies

345. Shri Karan Singh Dalal : will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to empanel CA's for better functioning and Audit of all Urban Local Bodies in the State; and

(b) the present system of accounting and auditing of the departmental works as mentioned at "a" above?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) :-

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) वर्तमान में, अधिकतर शहरी स्थानीय निकायों में लेखांकन तथा लेखा परीक्षा का कार्य पालिका लेखा संहिता-1930 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। तथापि, कुछ नगरपरिषद्-थानेसर तथा नगरपालिका-समालखा अपना लेखांकन का कार्य दोहरी प्रविश्ट लेखा प्रणाली के अनुसार कर रहे है।

Upgradation of School

325. Dr. Hari Chand Middha : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Primary School of village Lohchab of Jind Assembly constituency?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान जी, जीन्द विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव लोहचब के प्राथमिक विद्यालय का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। गांव लोहचब का प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक दर्जा बढ़ाने के मापदंड पूरे नहीं करता है। दर्जा बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या 150 होनी चाहिए, जबकि गांव लोहचब के प्राथमिक विद्यालय की छात्र संख्या 118 है।

To Drain Out the Dirty Water

308. Shri Rajdeep Phogat : will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide proper drainage system in Dadri city to drain out the dirty water ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : दादरी शहर में बरसाती/व्यर्थ पानी को सीवरेज प्रणाली द्वारा निकाला जाता है।

Election of Panchayati Raj Institutions

343. Shri Karan Singh Dalal : will the Development and Panchayats Minister be pleased to state:-

(a) the district wise number of villages/wards remained unrepresented on account of non full filling of education qualifications by the candidates in the recently held Panchayati Raj Institution elections in the state; and

(b) whether there is a any proposal under consideration of the Government to fill above mentioned post/seats by nomination by giving relaxation in education qualification?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :-

(क) इस समय में यह बताना सम्भव नहीं है कि राज्य में हाल ही में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा शैक्षणिक अर्हताएं पूरी न करने के कारण प्रतिनिधित्व बिना रह गए जिलावार गांवों/वार्डों की संख्या कितनी है; तथा

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

Reconstruction of Roads

324. Dr. Hari Chand Middha : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstrut the following roads of the Jind Assembly constituency which are completely damaged:-

1. Nirjan to Khokhri;
2. Manoharpur to Dalamwala mor via Barsana;
3. Gohana road-Pandu-Pindara pilgrimage to Nirjan; and
4. Julani Railway crossing to Julani?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :-

श्रीमान जी, सड़क अनुसार उत्तर निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	सड़क का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	मलकीयत	उत्तर
1.	निरजन से खोखरी	2.23	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	नहीं, श्रीमानजी। सड़क अच्छी स्थिति में हैं।
2.	मनोहरपुर से दालमवाला मोड़ वाया बरसाना दो सड़क भागों में निहित है:-			
	(i) मनोहरपुर से बरसाना	3.47	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	नहीं, श्रीमान जी। सड़क अच्छी स्थिति में है।
	(ii) बरसाना से दालमवाला मोड़	1.40	लो0 नि0 वि0 (भवन तथा सड़कें)	नहीं, श्रीमान जी। सड़क की स्थिति संतोष जनक है तथा पैच कार्य द्वारा मरम्मत करके रख-रखाव किया जा रहा है।
3.	गोहाना सड़क पाण्डू-पिण्डारा तीर्थस्थान से निरजन	2.62	लो0नि0वि0 (भवन तथा सड़कें)	हां, श्रीमान जी।
3.	जुलानी रेलवे फाटक से जुलानी तीर्थस्थान से निरजन	1.50	लो0नि0वि0 (भवन तथा सड़कें)	हां, श्रीमान जी। सड़क की स्थिति संतोषजनक है तथा पैच कार्य द्वारा मरम्मत करके रख-रखाव किया जा रहा है।

To Open a P.H.C. in Village Atela

309. Shri Rajdeep Phogat : will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a P.H.C. in village Atela; if so, the time by which it is likely to be opened ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी। प्रश्न ही नहीं उठता।

Subsidy on Poplar Trees

344. Shri Karan Singh Dalal : will the Agriculture Minister be pleased to state whether the Government is planning to give any subsidy to Farmers of State on growing poplar; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां श्रीमान जी। सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0आई0) की उप योजना फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी0डी0पी0) के अन्तर्गत राज्य में 60:40 (केन्द्र राज्य) वित्तीय सहायता के रूप में पापुलर लगाने हेतु बढ़ावा दे रही है। सी0डी0पी0 योजना राज्य के दस जिलों में लागू की गई है। पापुलर लगाने के लिए किसानों को 10000/- रुपये प्रति हैक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपर्युक्त सहायता के अतिरिक्त पापुलर लगाए गये क्षेत्र में अन्तर फसल (इंटरक्रोंपिंग) को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 5000/- रुपये तक की कृषि सामग्री दी जाती है।

To Open Science Lab

323. Dr. Hari Chand Middha : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Science Lab in the Government Senior Secondary School, Jhanjh Kalan-Khurd falling under the Jind Assembly constituency ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं श्रीमान जी, जीन्द विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झांझ कलां-खुर्द में विज्ञान प्रयोग खोलने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

नियम-15 के अधीन प्रस्ताव

11.00 बजे **श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चितकाल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चितकाल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चितकाल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सरकारी संकल्प

सिविल हवाई अड्डा चण्डीगढ़ का नाम बदल कर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने से सम्बन्धित

श्री अध्यक्ष: अब संसदीय कार्य मंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

"कि नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को आग्रह किया जाए कि चण्डीगढ़ स्थित सिविल हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चण्डीगढ़ रखा जाए।"

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

"कि नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को आग्रह किया जाए कि चण्डीगढ़ स्थित सिविल हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चण्डीगढ़ रखा जाए।"

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

"कि नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को आग्रह किया जाए कि चण्डीगढ़ स्थित सिविल हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चण्डीगढ़ रखा जाए।"

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

सदन की मेज पर रखा गया कागज-पत्र

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्यमंत्री सदन के पटल पर कागज-पत्र रखेंगे ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): सर, मैं हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 15 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्वतथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) नियमावली, 2016 में संशोधन के संबंध में वित्त विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ.6/एच.ए.2005/ एस.15/2016, दिनांकित 16 मार्च, 2016 सदन के पटल पर रखता हूं।

वक्फ बोर्ड कानून में एक संशोधन का मामला उठाना

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर के केन्द्र सरकार से एक कानून पास होकर आया था। उसके लिए सभी पार्टियों के लोगों ने सहमत होकर कहा था कि यह जो कानून बनाया गया है इससे छोटे-छोटे दुकानदार और गरीब लोग जुड़े हुए हैं। जब इस पर चर्चा की गई थी तब सरदार जसविन्द्र सिंह संधू ने सदन में यह बात रखी थी। उस समय इस पर सदन की तरफ से विश्वास दिलाया गया था कि हम केंद्र सरकार को लिखकर भेजेंगे कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। मैं सदन के नेता से कहूंगा कि इसके लिए भी एक प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए ताकि उन गरीब लोगों को उजाड़ा न जा सके। दूसरी बात, स्वर्णकार जाति के लोगों पर केंद्र सरकार ने एक्साइज डयूटी लगाई हुई है। वे भी लगभग एक महीने से पूरे हरियाणा प्रदेश में धरने पर बैठे हुए हैं। उस में भी आप मानकर चलिए कि 95 प्रतिशत लोग गरीब कारीगर हैं। इस एक्साइज डयूटी के लगने के बाद उनका रोजगार छिन जाने का डर पैदा हो गया है। उनके लिए भी हमें सदन से एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को पुनर्विचार के लिए भेजना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से अपील करूंगा कि वे सदन में ये दोनों प्रस्ताव जरूर लेकर आएं।

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष जी, सदन में यह चर्चा पहले भी चली है। उस समय हमने कहा था कि वक्फ बोर्ड का कानून बना हुआ है और उसके संदर्भ में जो भी अमेंडमैंट करना है उसके लिए हमने केंद्र सरकार को पहले भी पत्र लिखा है। अब यह पत्र दूसरी बार लिखने की बात आई है तो हम इसे दोबारा लिखेंगे। अगर रैजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तो हम रैजोल्यूशन भी पास करके केंद्र सरकार को भेजेंगे। जहां तक दूसरे विषय की बात है तो यह भारत सरकार के बजट का एक पार्ट है। केंद्र सरकार के बजट के पार्ट पर हमको यह रैजोल्यूशन पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह देखना होगा। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के बजट के पार्ट पर रैजोल्यूशन लाने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

थर्मल पॉवर प्लांट पानीपत का नाम बदलने संबंधी मामला उठाना

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक बात कहना चाहूंगा कि जब श्री ओमप्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे तो उस समय पानीपत थर्मल पावर प्लांट का नाम चौधरी देवीलाल के नाम पर रखा गया था परंतु पिछली सरकार ने उसके नाम को बदल दिया। हालांकि पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जिन संस्थानों का नाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के नाम पर रखा गया हो और बाद में उसे बदल दिया गया हो। कांग्रेस सरकार ने संस्थानों के नाम बदलने की प्रथा डाली थी। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री रामबिलास शर्मा जी चण्डीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव लेकर आए और सदन ने इसे पारित किया है। इसके लिए हमारी पार्टी मंत्री जी को बधाई देती है। मेरा सदन के नेता से अनुरोध है कि पानीपत थर्मल पावर प्लांट का नाम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नाम पर रखने का विचार करें ।

विधान सभा समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना

(i) अधीनस्थ विधान समिति की 44वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री मनीष ग्रोवर चेयरपर्सन, अधीनस्थ विधान समिति वर्ष 2015-16 के लिए 44वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, अधीनस्थ विधान समिति (श्री मनीष ग्रोवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2015-16 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 44वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूँ।

(ii) लोक लेखा समिति की 72वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री ज्ञानचंद गुप्ता, चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति वर्ष 31 मार्च 2010 (सिविल) तथा 31 मार्च, 2011 (सिविल तथा राजस्व प्राप्तियां) को समाप्त करते हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर वर्ष 2015-2016 के लिए लोक लेखा समिति की 72वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति (श्री ज्ञानचंद गुप्ता) : अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 31 मार्च 2010 (सिविल) तथा 31 मार्च, 2011 (सिविल तथा राजस्व प्राप्तियां) को समाप्त करते हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर वर्ष 2015-2016 के लिए लोक लेखा समिति की 72वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूँ ।

(iii) जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की तीसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्रीमती संतोष चौहान सारवान, चेयरपर्सन, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति वर्ष 2015-2016 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी ।

चेयरपर्सन, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति (श्रीमती संतोष चौहान सारवान) : अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2015-2016 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की तीसरी रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करती हूँ।

(iv) याचिका समिति की 6वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री घनश्याम दास, चेयरपर्सन, याचिका समिति वर्ष 2015-2016 के लिए याचिका समिति की 6वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

चेयरपर्सन, याचिका समिति (श्री घनश्याम दास) : अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2015-2016 के लिए याचिका समिति की 6वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूँ।

विधान कार्य

(1) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 2) बिल, 2016

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री हरियाणा विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे की इस पर तुरन्त विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा विनियोग (संख्या-2) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा विनियोग (संख्या-2) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि हरियाणा विनियोग (संख्या-2) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि क्लॉज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि क्लॉज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि शिड्यूल बिल का शिड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है --

कि क्लॉज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है --

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

(2) दि ईस्ट पंजाब होल्डिंग्ज (कंसोलिडेशन एण्ड प्रिवैंशन आफ फ्रैगमैंटेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2016

श्री अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा खण्डकरण रोकथाम) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्तुत करेंगे कि इस पर तुरंत विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा खण्डकरण रोकथाम) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ-

> कि पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा खण्डकरण रोकथाम) हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

> कि पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा खण्डकरण रोकथाम) हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

> कि पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा खण्डकरण रोकथाम) हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉजिज 2 से 5

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

> कि क्लॉजिज 2 से 5 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

> कि क्लॉज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

> कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

(3) दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2016

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस पर तुरंत विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं -

कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

(इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर आसीन हुई।)

श्री परमिन्दर सिंह ढुल(जुलाना) : उपाध्यक्ष महोदया, यह जो स्कीम चलाई गई है कि जिन व्यापारी भाईयों का 2016 के जाट आरक्षण के अंदर नुकसान हुआ उनके पैसे माफ किए जायेंगे इससे हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक अप्रैल, 2015 से पहले का जो उन पर टैक्स था, ब्याज था या बकाया राशि थी उसको भी माफ करने की योजना इसके अंदर शामिल है। एक तो मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की टोटल कितनी राशि है और उसके लिए विभाग द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं। जो वैट की बकाया राशि व्यापारियों की तरफ पड़ी थी उसके लिए क्या प्रयास किए गए है और इसके लिए जो प्रयास किए गए है क्या उससे मंत्री जी और विभाग संतुष्ट हैं। जिन दोषी अधिकारियों के कारण यह सारा मामला हुआ उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाई की गई है या नहीं।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, इस संशोधन के माध्यम से विधान सभा सरकार को अधिकृत करती है कि जो भी सरकार के पुराने बकाया कर हैं और बहुत लम्बित कर हैं तथा जिनको वसूल करने में सरकार को कठिनाईयां आ रही हैं उनके बारे में सरकार स्वयं डिसीजन ले। अन्य विधान सभाओं में भी इस प्रकार के कानून बनाकर सरकारों को यह अधिकार दिया हुआ है कि इस प्रकार के पुराने करों को रिकवर करने के लिए सरकार योजना बना सके। इसमें कोई छूट देने की स्कीम नहीं है। अलग-अलग मदों में बहुत ज्यादा पुराना राजस्व बकाया है जिसकी रिकवरी के लिए सरकार को अधिकार इस अमैंडमैंट के माध्यम से दिया जा रहा है ताकि सरकार राजस्व की रिकवरी कर सके। जो पुराना राजस्व बकाया है उनकी पाई-पाई की रिकवरी करने के लिए अनेक प्रकार के संशोधन किए हैं। हमारी सरकार ने पहले के कानून के नियमों को बदलकर जो डिलिमिटेशन का पीरियड था उसको भी बढ़ाया है। जबकि पिछली सरकार के समय में उसको कम कर दिया था कि इससे पहले की रिकवरी नहीं हो सकती। हमने उसको बढ़ा करके पूरे राजस्व की रिकवरी करने का प्रावधान किया है।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनके बारे में मंत्री जी ने जानकारी नहीं दी कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाई की गई है।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, इस संशोधन बिल पर माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि पहले भी इस बारे में हाऊस में रिप्लाई दिया जा चुका है। मैं पुन: उनको बताना चाहूंगा कि जिस राशि का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है इस राशि को रिकवर करने के लिए बाकायदा स्पैशल असैसमैंट टीम बनी है। इस मामले में जो भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं उनके विरूद्ध भी विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। इसलिए ये पूरी तरह निश्चित रहें कि हम किसी भी दोषी व्यक्ति को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब सदन बिल पर क्लॉज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लॉज 2

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि क्लॉज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 1

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि क्लॉज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

(4) दि हरियाणा फायर सर्वीस (अमैंडमैंट) बिल, 2016

उपाध्यक्ष महोदया : अब शहरी स्थानीय निकाय विकास मंत्री हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस पर तुरन्त विचार किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करती हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ-

कि हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है -

कि हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब सदन बिल पर क्लॉज-बाई- क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज - 2

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है -

कि क्लॉज- 2 बिल का पार्ट बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है -

कि क्लाज-1 बिल का पार्ट बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है-

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब शहरी स्थानीय निकाय विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि बिल पास किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन): उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

(5) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (रिपील) बिल, 2016

उपाध्यक्ष महोदया : अब वित्त मंत्री हरियाणा विनियोग (निरसन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस पर तुरंत विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): उपाध्यक्ष महोदया, मैं हरियाणा विनियोग (निरसन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ-

कि हरियाणा विनियोग (निरसन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा विनियोग (निरसन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है -

कि हरियाणा विनियोग (निरसन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया: अब सदन बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है -

कि क्लॉज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है -

कि क्लॉज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है-

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया: अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

(6) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2016

उपाध्यक्ष महोदया : अब मुख्यमंत्री हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस पर तुरंत विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदया, मैं हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ -

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है -

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लॉजिज 2 से 6

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है -

कि क्लॉजिज 2 से 6 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है -

कि क्लॉज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है-

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया: अब मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(इस समय अध्यक्ष महोदय चेयर पर आसीन हुए)

7. दि हरियाणा इंटरप्राइजिज प्रमोशन बिल, 2016

श्री अध्यक्ष : अब उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हरियाणा उद्यम प्रोन्नति विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगे और यह भी प्रस्ताव करेंगे की इस पर तुरन्त विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा उद्यम प्रोन्नति विधेयक, 2016 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं -

कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज- 2 ऑफ क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि सब क्लॉज- 2 ऑफ क्लॉज-1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉजिज- 2 से 20

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉजिज- 2 से 20 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज-1 ऑफ क्लाज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि सब क्लॉज-1 ऑफ क्लॉज-1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब अध्यक्ष महोदय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के तीन सदस्यगण का निलम्बन रद्द करने के लिए अनुरोध

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी पार्टी के उन तीन सदस्यों जिनको आपने असैम्बली से 6 महीने के लिए और विधान सभा की समितियों में भाग लेने के लिए एक साल तक निलम्बित किया है, का निलम्बन वापस ले लें।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, इस बिल्डिंग में हरियाणा और पंजाब के दोनों सदन आज से नहीं बल्कि वर्ष 1966 से लगातार चलते आ रहे हैं और भविष्य में भी यह सदन अलग-अलग चलते रहेंगे। जहां तक हरियाणा की बात है तो यहां पर वर्तमान में एक ही सदन चल रहा है और इस सदन में दूसरे सदन का कोई जिक्र ही नहीं है। यह अलग बात है कि कांग्रेस के हमारे साथी बाहर बैठकर अलग सदन के रूप में विधान सभा की कार्यवाही चलाकर मीडिया की सुर्खियां बटोरने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। सरकार की पूरी कोशिश थी कि कांग्रेस के साथी सदन में आकर सदन की कार्यवाही में भाग लें। मैं इस बात को भलीभांति रूप से जानता हूँ कि सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। चाहे वह मान्यता प्राप्त विपक्षी दल हो या अन्य विपक्षी दल हो सबका एक निश्चित रोल होता है। कांग्रेस के साथियों ने जो कुछ कार्यवाही इस सदन में की थी यदि वे उस कार्यवाही के लिए अपनी गलती मान लेते तो संभवत: सदन में उनकी वापसी जल्द संभव हो सकती थी। सदन का इतना लंबा समय निकल चुका है और आज यह लगभग समाप्ति पर पहुंच गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का आश्य यह है कि वर्तमान सत्र के लिए तो कांग्रेस के तीन साथियों को सदन से बाहर रखा ही जाना चाहिए। जब अगला सत्र शुरू होगा (यदि सत्र छह माह की अवधि के बाद आता है, उस अवस्था में) तो नि:संदेह इन तीनों सदस्यों को भी सदन में बुला लिया जायेगा क्योंकि कांग्रेस के तीन साथियों पर हरियाणा विधान सभा सत्र में छह मास तथा कमेटीज में एक साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अत: मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। वर्तमान सत्र के लिए कांग्रेस के तीन साथियों का निलम्बन कायम रहेगा और अगले सत्र के लिए (यदि सत्र छह माह की अवधि के बाद आता है, उस अवस्था में) निलम्बन समाप्त माना जायेगा।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष: देखिये कादियान साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब सब कुछ साफ कर दिया है। कांग्रेस के कुल 14 सदस्य निलंबित किये गये थे उनमें से 11 सदस्यों का निलंबन रद्द कर दिया गया है और जो बाकी 3 सदस्य शेष रहे गये हैं उन पर हरियाणा विधान सभा सत्र में छह मास तथा कमेटीज अटैंड करने पर एक साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अत: मैं समझता हूँ कि अब इस मामले में कोई शक की गुंजाईश ही नहीं रह गई है। वर्तमान सत्र के लिए कांग्रेस के तीनों साथियों का निलम्बन कायम रहेगा और अगले सत्र के लिए (यदि सत्र छह माह की अवधि के बाद आता है, उस अवस्था में) निलम्बन समाप्त माना जायेगा लेकिन हरियाणा विधान सभा की कमेटीज अटैंड करने के लिए निलम्बन एक साल तक बराबर जारी रहेगा।

श्री सुभाष बराला: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय रघुवीर सिंह कादियान जी सदन में कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव लेकर आये हैं। कांग्रेस के साथियों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियों को फाड़कर और उनके खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग करके राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद की गरिमा तथा इस महान सदन की मर्यादाओं को गिराने का एक गम्भीर कृत्य किया है जिसकी जितनी आलोचना की जाये वह उतनी ही कम होगी। अत: इस गम्भीर कृत्य के लिए बिना किसी क्षमा याचना के कांग्रेस के साथियों को अगले सत्र में शामिल होने की अनुमति प्रदान करने के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पर विचार करने की महती आवश्यकता है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विधायक श्री रघुवीर सिंह कादियान सदन में कांग्रेस के साथियों का निलंबन निरस्त करने संबंधी एक प्रस्ताव लेकर आये हैं। जहां तक कांग्रेस के साथियों का निलम्बन निरस्त करने की बात आई है तो इस संबंध में मैं भी सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि सदन के नेता ने 18.3.2016 को ही कांग्रेस के 14 में से 11 सदस्यों के निष्कासन को रद्द कर दिया था। इस पूरे सत्र के दौरान प्रदेश के कई बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। पूरा प्रदेश इस महान सदन की तरफ देख रहा था कि हमारे जन प्रतिनिधि हमारे लिए सदन में क्या कर रहे हैं। वर्तमान सदन में एस.वाई.एल. नहर तथा जाट आरक्षण का मुद्दा आया। कांग्रेस के साथियों ने इतने गम्भीर मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की उनके समक्ष ही प्रतियां फाड़ डाली और अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इन्होंने चेयर द्वारा दिये गये निर्णय की भी अवमानना की और इनका अहम इतना चरम पर था कि कांग्रेस के मित्रों ने सभी को चुनौती देते हुए अपने गम्भीर कृत्य का अपराध बोध तक स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस के साथियों के गम्भीर कृत्य को किसी भी सूरत में उचित नहीं माना जा सकता है। वास्तव में श्री रघुवीर सिंह कादियान को उनके अन्य साथियों द्वारा की गई गलत कार्यवाही को अनुचित कहने का भी आत्मिक बल होना चाहिए था लेकिन उसका लेशमात्र प्रदर्शन भी कादियान साहब द्वारा नहीं किया गया है। मैं सदन के नेता श्री मनोहर लाल जी की तारीफ करना चाहता हूँ जो उन्होंने बड़ी दरियादिली व फिराकदिली से कह दिया कि कांग्रेस के साथियों आप उचित और अनुचित को तय कर दो तो आपको कोई माफी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परन्तु इस सबके बावजूद भी कांग्रेस के साथियों ने सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस महान सदन के सदस्यों ने सदन की मान मर्यादा को बनाये रखा या नहीं इस बात का गम्भीर संज्ञान लिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से आना वाला इतिहास यह देखेगा कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने सदन की मर्यादा व भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था। माननीय रघुवीर सिंह कादियान जी आज सदन में आये हैं। दो दिन पहले कांग्रेस के कुछ अन्य साथी भी सदन में आये थे। वे सदन में आये जरूर लेकिन सदन में अपनी बात रिकॉर्ड कराने के लिए भी तैयार नहीं थे और इसलिए जानबूझकर उन्होंने सदन में आते हुए हाजिरी लगाने तक की गुरेज की। आपकी रूलिंग के बावजूद भी कि उन्हें सदन में आने से पहले हाजिरी रजिस्टर में एन्ट्री करनी चाहिए थी, जिस प्रकार से उनका अमर्यादित व्यवहार रहा निश्चित रूप से यह सदन उनकी इस अनुशासनहीनता व अमर्यादित व्यवहार की उपेक्षा करेगा। इस महान सदन में जितने भी जनप्रतिनिधि चुनकर आये हैं, उन सबको सदन में बैठकर अपनी बात कहने का अधिकार, कर्त्तव्य और धर्म है। कांग्रेस के लोगों को

भी अपने अधिकार, कर्त्तव्य और धर्म को भलीभांति समझना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सदन की मर्यादाओं को कायम रखने के लिए हमारी तरफ से आपको पूर्ण सहयोग बराबर मिलता रहेगा।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, श्री रघुवीर सिंह कादियान जी इस सदन के कस्टोडियन भी रहे हैं तथा हरियाणा सरकार में इनको अनेक बार मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये इस सदन के एक वरिष्ठ माननीय विधायक हैं। एक अनवांटिड इंसीडेंट इस सदन में हुआ था परंतु यह सदन महान है और सदन की परम्पराएं महान हैं। पूर्व स्पीकर डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जैसा बड़ा नेता आज सदन को आश्वस्त करने आया है। सदन के नेता ने दिनांक 18 मार्च, 2016 को 11 विधायकों का निलंबन suo-moto इसी सदन में रद्द कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, आपकी रहनुमाई में यह सदन बड़ी-बड़ी परम्पराओं का निर्माण करता जा रहा है। जैसे माननीय सदन के नेता ने आज भी उनके निलंबन को रद्द करने बारे कहा This Hon'ble House is a master in itself और यह हाउस कभी भी बड़े से बड़ा निर्णय ले सकता है। We have the capacity. आज भी सदन के माननीय नेता ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के उन तीन माननीय सदस्यों का भी निलबंन रद्द कर दिया जायेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जब से आप अध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए हैं तब से लेकर आज तक जितने भी सत्र आए हैं, उन सबमें आपने दरियादिली दिखाई है। अध्यक्ष महोदय, आपने तो कई तरह का माहौल यहां देखा है । बहुत सी अन-पार्लियामैंट्री भाषा भी आपने सुनी है लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहीं ना कहीं उन सब चीजों की अनदेखी करके हाउस को चलाने का काम किया है। माननीय सदन के नेता ने कहा है कि इस सत्र के बाद जो अगला सत्र आयेगा, उसमें यदि कांग्रेस पार्टी के सदस्य आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम भी कांग्रेस पार्टी का निलंबन समाप्त करना चाहते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, हम भी इस इश्यू को समाप्त करने की चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना नेता बदल कर आज हाउस में भेजा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आज डॉ० रघुवीर सिंह कादियान ऑफिशियल अटैंडैंस रजिस्टर पर हाजिरी लगा कर आए हैं?

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, हाजिरी बाद में भी लगाई जा सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, हाजिरी पहले लगाई जाती है, तभी माननीय सदस्य हाउस में आ सकता है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दी हुई है कि कोई भी हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-6 के अनुसार ऑफिशियल अटैंडैंस रजिस्टर पर बिना हाजिरी लगा हाउस में नहीं आ सकता है। अध्यक्ष महोदय, डॉ० रघुवीर सिंह कादियान आपकी ऑथोरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। Sir, they are challenging your authority. अध्यक्ष महोदय, ऑफिशियल अटैंडैंस रजिस्टर पर हाजिरी लगाने में इन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपनी सब बातें मनवा रहे हैं। माफी मांगने को तैयार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, जब सभी माननीय सदस्य ऑफिशियल अटैंडैंस रजिस्टर पर हाजिरी लगाकर हाउस में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को किस चीज की शर्म आती है? (शोर एवं व्यवधान) ये ऑफिशियल अटैंडैंस रजिस्टर पर हाजिरी क्यों नहीं लगाकर आते हैं? (शोर एवं व्यवधान) Sir, they are intruders.

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य कहते हैं कि जब तक तीन सदस्यों का निलंबन रद्द नहीं होगा तब तक हम हाउस में नहीं आएंगे। (शोर एवं व्यवधान) हाउस की मर्यादा कांग्रेस पार्टी के सदस्य तोड़ते हैं। हाउस का अनुशासन भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य तोड़ते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के इस प्रकार के व्यवहार से इस महान सदन का स्तर नीचे चला जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब भी इस महान सदन की गरिमा को भंग किया गया था और आज भी इस महान सदन की गरिमा ये लोग भंग कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, इस तरह तो अनुशासन ही नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, बिना हाजिरी के तो लोग क्लब में भी नहीं जाने देते हैं और यह तो विधान सभा है। अध्यक्ष महोदय, आप एक नियम बनायें। (शोर एवं व्यवधान) Let me speak, I am speaking हाउस के बाहर विधानसभा के अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाये जो यह देखे कि जिस माननीय सदस्य की हाजिरी न लगी हो he should not be allowed to enter this august House, any body should not be allowed, अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य की विधान सभा में इस तरह का नियम नहीं है कि बिना ऑफिशियल अटैंडैंस रजिस्टर पर हाजिरी लगाए कोई सदस्य हाउस में प्रवेश कर सके। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी नहीं हो सकता है और आपने रूलिंग भी दे रखी है। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आपने इसी आधार पर चार दिन पहले की सारी कार्यवाही को रिकार्ड नहीं करवाया था और उन सदस्यों को बाहर निकलवाया था। Today, they are again challenging the authority of the Hon'ble Speaker in the House. It cannot be permitted Sir. (Interruption)

मुख्य संसदीय सचिव (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, आपको माननीय सदस्य डॉ. कादियान की सदन में कही हुई आज की बात को भी कार्यवाही से हटवाना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, माननीय सदस्य डॉ. रघुवीर सिंह कादियान सदन के एक बहुत सीनियर मैम्बर हैं और वे विधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। (विघ्न) वे इरादतन बगैर हाजिरी लगाए सदन में नहीं आए हैं। वे हाजिरी रजिस्टर में अपनी हाजिरी अवश्य ही लगा देंगे। (विघ्न) उन्होंने जान-बुझकर ऐसा नहीं किया है। हाउस के शुरू होने का समय हो रहा था इसीलिए वे जल्दबाजी में बगैर हाजिरी लगाए ही हाउस में आ गए। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, अगर आज आप इनकी बात सुन रहे हो तो फिर आपने उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उन सदस्यों को सदन से बाहर जाने के लिए क्यों कहा था? (विघ्न)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, सिर्फ एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिये। (विघ्न) आप इन्हें आदेश दीजिए कि ये हाउस से बाहर जाकर हाजिरी रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगाकर

ही सदन में आएं । आप यह आदेश अवश्य दे सकते हैं। अगर इन्हें सदन से बाहर आने-जाने में कठिनाई होती है तो आप विधान सभा के किसी अधिकारी को आदेश दीजिए कि हाजिरी रजिस्टर मंगवाकर इनकी हाजिरी सदन के अंदर ही लगावाई जाए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज जी, कादियान साहब ने कह दिया है कि ये सदन से बाहर जाते हुए हाजिरी रजिस्टर में अपनी हाजिरी अवश्य लगा देंगे। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, जब तक कादियान साहब हाजिरी रजिस्टर में अपनी हाजिरी नहीं लगाएंगे तब तक हम इनकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, मैंने ही कादियान साहब को जल्दी से सदन में हाउस की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कहा था क्योंकि बजट सत्र का सारा कार्य समाप्त होने वाला था। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, आप सदन में कादियान साहब की हाजिरी लगवाने के लिए हाजिरी रजिस्टर मंगवाइये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, हम सदन में कादियान साहब की हाजिरी लगवाने के लिए हाजिरी रजिस्टर मंगवा लेंगे। (विघ्न) मैंने ही इन्हें कहा था कि बजट सत्र का सारा कार्य समाप्त होने वाला है इसलिए आप जल्दी से जल्दी सदन में आ जाइये। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बड़े अदब से यह बात कहना चाहता हूँ कि आपने खुद एक प्रैसीडैन्ट सैट किया है और आपकी रूलिंग है कि सदन में हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगाए बगैर कोई भी सदस्य प्रवेश नहीं कर सकता। आप खुद ही कादियान साहब को बिना हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगाए बोलने की अनुमति दे रहे हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करना लेकिन आप इन्हें इस तरह से सदन में बोलने के लिए अनुमति नहीं दे सकते इसलिए आप हाउस में ही हाजिरी रजिस्टर मंगवाइये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, हम सदन में हाजिरी रजिस्टर मंगवा रहे हैं। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, अगर डॉ० कादियान के पैरों में मेहंदी लगी हुई है और ये सदन से बाहर जाकर हाजिरी लगाने में दिक्कत महसूस करते हैं तो सदन में ही हाजिरी रजिस्टर मंगवाकर इनकी हाजिरी लगवाइये। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, जब तक आप हाजिरी रजिस्टर में अपनी हाजिरी नहीं लगाते हैं तब तक आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं की जाएगी।

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर महोदय, आपने हाउस को पहले जिस तरह से चलाया है और जिस ढंग से आपने सारी सीमाओं को पार करने वाले लोगों को धैर्य के साथ सुना है वह तारीफ के काबिल है लेकिन आज मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कोई विधान सभा का सदस्य अपने आपको विधान सभा के रूल्ज से बड़ा समझकर हाउस में इस तरह से अपनी बात कहना चाह रहा है। मेरे विचार से यह गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सदस्यों का

[श्री अभय सिंह चौटाला]
निलंबन रद्द करने की बात कही थी। मैं पहले भी इसलिए खड़ा हुआ था और खुद यह कहना चाहता था कि आपको इन सदस्यों का निलंबन रद्द करना चाहिए। आपने इन सदस्यों का निलम्बन रद्द करके दरियादिली दिखाई है लेकिन आज भी इनका रवैया वैसा ही है जैसा पहले था। आज भी इनके दिमाग में कहीं न कहीं ये कीड़े घूम रहे हैं कि हम सत्ता पक्ष में बैठे हैं और सदन को जैसे चाहें चला सकते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको हाउस को कानून-कायदे के अनुसार ही चलाना चाहिए। आपको सदन के कायदे-कानूनों को किसी भी सदस्य के लिए नहीं बदलना चाहिए फिर चाहे कोई सदन का कितना ही बड़ा सदस्य, स्पीकर या मुख्यमंत्री ही क्यों न रहा हो। आपको किसी सदस्य को यह अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वह सदन में अपनी मनमर्जी चला सके। (विघ्न)

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपको इन्हें प्वायंट ऑफ ऑर्डर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। (विघ्न) जब तक कादियान साहब हाजिरी रजिस्टर पर साइन नहीं करते तब तक इनकी बात को न सुना जाए क्योंकि यह हाउस किसी की बापोती नहीं है। इस सदन में जितने भी सदस्य आज बैठे हैं उन्हें हरियाणा प्रदेश की जनता ने चुनकर भेजा है। कादियान साहब को सदन से बाहर जाकर ही हाजिरी रजिस्टर पर अपनी हाजिरी लगानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) यहां सदन में किसी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं करवाए जा सकते। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम आपसे इस तरह उम्मीद नहीं करेंगे। आप गलत परम्परा मत डालो। यहां हाजिरी रजिस्टर मंगवाया जाएगा तो कल को हम भी कहेंगे कि रजिस्टर यहां मंगवाया जाए और हमारे यहां साइन होंगे। (विघ्न)

श्री ज्ञानचंद गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, यह गलत प्रथा पड़ जाएगी। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आज रजिस्टर यहां मंगवाया गया तो कल को हम भी कहेंगे कि रजिस्टर यहां मंगवाया जाए इसलिए कादियान साहब को बाहर निकाला जाए। अध्यक्ष महोदय, ये आपको भी चैलेंज करते हैं इसलिए इनको बाहर निकालो ।(विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके और सदन के नेता की भलमानसी, सदन के अनुशासन के साथ समझौता करने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं इस बारे में मैं इनको चैम्बर में बुलाकर फैसला कर लूंगा। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, पहले इनको बाहर करो, अगर आप इनको बाहर नहीं करते तो हम बाहर चले जाते हैं। इस तरह कोई आदमी सदन की मर्यादा तोड़ने का काम करेगा और आप उस पर फैसला नहीं लेंगे तो यह गलत है। (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि इसका फैसला आप चैम्बर में करेंगे लेकिन एक आदमी के लिए हम सब क्यों बाहर जाएं। यह कौन सा नियम है

इसीलिए इसी एक आदमी को ही बाहर किया जाए। उसने गलत काम किया है इसलिए इस एक आदमी को बाहर किया जाए। पहले इसको बाहर करें उसके बाद हमें चैम्बर में बुला लीजिए। (विघ्न)

(इस समय डा० रघुबीर सिंह कादियान हाउस की वैल में आ गए)

डा० रघुबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, * * * (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह ठीक है कि आप मेरे बुलाने पर हाउस में आए थे लेकिन आपको पहले हाजरी लगा कर हाउस में आना चाहिए था। अगर आप हाजिरी लगाकर हाउस में नहीं आएंगे तो फिर आपकी कोई बात सदन में रिकार्ड पर नहीं आएगी। (विघ्न)

डा० रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, * *

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, यह पूरे हाउस का फैसला है कि आप पहले हाजिरी लगाकर आएं उसके बाद ही आपकी कोई बात रिकार्ड की जाएगी।

Shri Anil Vij: Speaker Sir, Law makers are breaking the laws. (शोर एवं व्यवधान) Law makers cannot break the laws.

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब आपके बुलावे पर यहां आए थे और हमने उनका स्वागत किया है लेकिन ये रूल्ज को फोलो करते हुए कम से कम तरीके से तो हाऊस में आएं। **(इस समय डा० रघुबीर सिंह कादियान सदन से बाहर चले गए।)**

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, अच्छे टेस्ट में यह चीज नहीं होनी चाहिए थी। यह जो विवाद बना है, इसकी रूलिंग आप चाहे अब दें या अगले सत्र में दें। हाजिरी लगाने का विधि विधान क्या है, क्या हाजिरी पहले लगाना अनिवार्य है या किसी भी समय लगा सकते है तथा बिना हाजरी लगाए अंदर आ सकते हैं या नहीं। बिना हाजिरी लगाए हाऊस में आते हैं तो उसका क्या परिणाम है। ऐसा विषय उस दिन भी आया था और आज भी आया है जोकि अच्छे टेस्ट (taste) में नहीं है। अध्यक्ष महोदय इस बारे में रूलिंग देंगे और अगले सैशन में इस बारे में फैसला हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, सारा विचार करके हम इस बारे फैसला ले लेंगे।

हरियाणा विधान सभा के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने सम्बन्धी मामला उठाना

श्री टेक चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जैसा कि हमने पहले भी गुजारिश की थी और पिछले सैशन में भी कहा था कि विधायकों और मंत्रियों की सैलरी तथा भत्ते बढ़ने चाहिएं। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर, छतीसगढ़ के अंदर, तेलंगाना के अंदर, झारखण्ड के अंदर और दिल्ली के अंदर अभी रिसैंटली विधायकों और मंत्रियों की सैलरी तथा भत्ते बढ़ाये गये हैं उसी तरह हमारे भी सैलरी और भत्ते बढ़ाये जायें क्योंकि महंगाई का समय

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री टेक चंद शर्मा]
है और जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सभी सदस्यों ने जाट आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जिसकी हमें खुशी है उसी तरह से यह बिल भी लाया जाये और पास किया जाये। विधायकों की सैलरी और भत्ते बढ़ाने के लिए सदन की एक कमेटी तीन दिन पहले बनाई गई थी। उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस कमेटी में सभी पार्टियों के सदस्य थे। कांग्रेस के साथी यहां सदन में तो आपके बुलाने पर भी नहीं आये लेकिन कमेटी की रिपोर्ट पर फटाक से ललित नागर जी ने साईन कर दिए जो इस कमेटी के मैंबर थे। हमने किरण चौधरी जी से फोन पर बात करके उनका नाम इसमें शामिल किया था। मेरा अनुरोध है कि इसको लेकर आज ही बिल लाया जाये। मैं मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की जो नीयत और नीति है उस पर सभी विधायक खरे उतरेंगे। भ्रष्टाचार के अंदर कोई भी विधायक इनवोल्व नहीं होगा लेकिन सैलरी और भत्ते आज ही बढ़ा दिए जायें।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं भी शर्मा जी की बात का समर्थन करता हूं। यह वक्त और हालत की बात है न कि फिजूल की कोई बात है। इस बारे में जो कमेटी सदन की बनी, उसने हमने सभी स्टेट्स के विधायकों के भत्ते और सैलरी देखी थी। दिल्ली के अंदर तो आज विधायक को 3.50 लाख रुपये सैलरी और भत्तों के दिए जाते हैं। इसी तरह से कल मध्य प्रदेश में भी बिल पास किया गया है वहां पर तो विधायक की केवल तनख्वाह ही 1.20 लाख रूपये है। इसी तरह से गोवा जैसे छोटे से प्रदेश में विधायकों को 3 लाख रूपये से ऊपर सैलरी मिलती है। हरियाणा प्रदेश तो गोवा से बहुत बड़ा है। इसी तरह से गोवा में एक विधायक को 12 लाख रूपये पैटी ग्रांट के मिलते हैं। तीन लाख रूपये में एक विधायक किसी की मदद करना चाहे तो कितने लोगों की मदद करेगा ? शादी वगैर में या ईलाज के लिए भी गरीबों को पैसे देने पड़ते हैं इसलिए तीन लाख रूपये पैटी ग्रांट के बहुत कम हैं। इसी तरह से आज अगर मकान भी खरीदने जायें तो एक से डेढ़ करोड़ रूपये में फलैट मिलते हैं इसलिए मकान लोन भी बढ़ाया जाये। पूरी कमेटी ने विचार मंथन करके परसों ही अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। उस रिपोर्ट से सारे सदन के सदस्य सहमत हैं। कल मैंने भी बजट पर बोलना था लेकिन मुझे कहा गया कि पहले रिपोर्ट सबमिट करो इसलिए मैं चला गया था और बजट पर नहीं बोल पाया। मेरी गुजारिश है कि इसी सैशन में विधायकों की सैलरी और भत्ते बढ़ाये जायें। धन्यवाद।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर सर, इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन की एक कमेटी बनाई थी। श्री ज्ञान चंद गुप्ता, डा. बनवारी लाल, श्री जाकिर हुसैन, श्री टेकचंद शर्मा, श्री जय प्रकाश बरवाला और श्री ललित नागर जी उस कमेटी के मैंबर बनाए गए थे। मुझे लगता है आज जय प्रकाश जी फिर कुसंगति में चले गये। इस कमेटी ने बहुत मेहनत करके अपनी रिपोर्ट दी है। कल मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों से इस बारे में बात की थी और वित्तमंत्री जी भी बैठे थे। कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस पर मदवाईज एक घंटे तक चर्चा हुई थी। अध्यक्ष महोदय, यह मनी बिल है। जो बात माननीय टेक चंद शर्मा जी ने रखी और आई.एन.एल.डी. के श्री जाकिर हुसैन जी ने उसको सैकेंड किया मनी बिल होने के कारण यह बिल आज नहीं लाया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी की रिपोर्ट को इन प्रिंसीपल मान लिया है

अर्थात जो पूरे सदन की सर्वसम्मत राय है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया है लेकिन तकनीकी कारणों से आज इससे सम्बंधित बिल सदन में नहीं लाया जा सकता।

112.00 बजे **डॉ० अभय सिंह यादव** : स्पीकर सर, इस मामले में सारे सदन की सहमति हो गई है इसलिए हम सभी का यह निवेदन है कि इसके ऊपर इस बार आर्डिनैंस लाया जाये और अगले सदन में बिल लाया जाये। (शोर एवं व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस मामले में आर्डिनैंस तो लाना ही पड़ेगा तभी यह लागू होगा। (शोर एवं व्यवधान) अगर ऐसा सम्भव नहीं है तो फिर मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, जब इस कमेटी के गठन की बात आई थी उसके बाद यह फैसला हुआ था कि वह कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी उसकी रिपोर्ट के अनुसार हम विधान सभा के अगले सत्र में जो मनी बिल होगा उसको उस समय पारित करवा लेंगे। जिस प्रकार से पूरा सदन इस मामले में पूरी एकता का परिचय दे रहा है उसको देखकर मुझे आश्चर्यजनक खुशी हो रही है। मेरे विचार से पूरे सदन ने इस प्रकार की एकता भूतकाल में शायद ही किसी विषय पर दिखाई होगी और शायद ही भविष्य में भी ऐसा उदाहरण कभी किसी अन्य विषय पर हमें देखने को मिलेगा। मैंने यह देखा है कि न तो किसी अन्य विषय पर इस सदन में इतनी तालियां माननीय सदस्यों द्वारा बजाई गई थी और न ही सभी माननीय सदस्यों के चेहरों पर इतनी खुशी कभी देखने को मिली थी। इस समय सभी माननीय सदस्यों द्वारा तालियां भी बजाई जा रही हैं, सभी माननीय सदस्यों के चेहरों पर बेहद खुशी नज़र आ रही है और इसके साथ ही साथ यहां पर अभूतपूर्व एकता का नज़ारा भी हम सभी को देखने को मिल रहा है। मेरे विचार से इस मामले में दो रास्ते हैं और उन दोनों रास्तों के अपने-अपने पहलू हैं। यह मनी बिल है इसलिए आज यह बिल तो पारित नहीं हो सकता इसलिए इसका पहला रास्ता है कि इसके ऊपर अध्यादेश लाया जाये। अगर सदन द्वारा ऐसा किया जाता है तो यह सवाल उठाया जा सकता है कि सरकार ने इस बिल को सदन में पारित नहीं करवाया लेकिन बाद में ऐसी कौन सी एमरजैंसी आ गई थी कि सरकार को इसके लिए आर्डिनैंस के रूप में इस बिल को पारित किया। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस प्रकार के सवाल उठाये जा सकते हैं। यह बात विधान सभा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज़ हो जायेगी। मेरा सुझाव है कि क्या इससे पहले भी इस प्रकार के कार्य अध्यादेश के जरिए होते रहे हैं इसकी जानकारी सरकार के स्तर पर प्राप्त कर ली जाये। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा इसका रास्ता है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि तीन महीने बाद हम विधान सभा का हरियाणा प्रदेश की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं। उस सत्र में इससे सम्बंधित बिल को सरकार सदन में पारित करवा लेगी। (शोर एवं व्यवधान) सभी माननीय सदस्य कृपया शांति से मेरी पूरी बात सुन लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा का अगला सत्र तीन महीने पश्चात् आयेगा और अगर पूरा सदन चाहेगा तो उस समय हम उसको 01 अप्रैल, 2016 से with retro-respective effect लागू करवा सकते हैं। ऐसा हम पता करवा लेते हैं ताकि अध्यादेश के बजाये इससे सम्बंधित बिल को सीधे-सीधे अगले सत्र में पारित करवा लिया जाये। मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब हमने आज विधान सभा में इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है तो उसकी भावना तो यहां पर दर्ज़ हो ही गई है। इसी नाते से हम तीन महीने बाद आने वाले सत्र में इससे सम्बंधित बिल लाकर इसको 01 अप्रैल, 2016 से with retro-respective effect लागू करवा

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

[श्री मनोहर लाल]
लेंगे। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम इस आशय का बिल विधान सभा सैशन में लायें तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री टेक चंद शर्मा : स्पीकर सर, सबसे पहले मैं तो सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं। इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसमें जो डिशक्रिएशनरी कोटा है उसके बारे में क्या और कैसे निर्णय लिया जायेगा।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी है कि हम पहले इस बारे में सरकार के स्तर पर पूरी जानकारी ले लेंगे और अगर ऐसा सम्भव न हुआ तो फिर हम अध्यादेश ले आयेंगे।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(8) दि हरियाणा मैनेजमैंट ऑफ सिविक अमेनिटीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेफिशिऐंट म्युनिसिपल एरियाज (स्पेशल प्रोविजन्स) बिल, 2016

श्री अध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस पर तुरंत विचार किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करती हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ कि -

> हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

> कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

> कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लॉज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लॉजिज 2 से 11

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

> कि क्लॉजिज 2 से 11 बिल का पार्ट बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[श्री मनोहर लाल]

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि क्लॉज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि बिल पास किया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

एक विशेष स्वर्ण जयंती द्वारा विधान सभा सत्र के सम्बंध में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा/मुख्यमंत्री, प्रति पक्ष के नेता और अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार हर सत्र की कोई न कोई विशेषता रहती है उसी प्रकार यह सत्र भी कोई न कोई विशेषता छोड़ कर जा रहा है। हम चाहते थे कि पूरा सदन, सभी सदस्य मिल कर प्रदेश के हित में सब बातें आगे बढ़ाते लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने सत्र की शुरूआत में ही एक ऐसा कारनामा कर दिया जो आखिर तक एक विवाद का विषय बना रहा। आज सत्र का आखिरी दिन है और सत्र सम्पन्न होने जा रहा है। इस सत्र में विपक्ष की तरफ से यह भी जाना जायेगा कि सभी सदस्यों ने बहुत समूथ ढंग से अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की बातें रखी और बजट के भी हर पहलू पर ध्यान दिया गया और एक अच्छा डिस्कशन हुआ। इसके लिए मैं सभी सदस्यों का और नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने और उपाध्यक्ष महोदया ने सदन की कार्यवाही को बहुत अच्छे ढंग से संचालित किया है उसके लिए मैं आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ। विधान सभा के जितने भी कर्मचारी/अधिकारी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और पूरा सहयोग किया है, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार से मीडिया के लोगों ने प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सदन की कार्यवाही को जनता तक पहुंचाया है उसके लिए मैं उनका अपनी तथा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष हरियाणा के गठन का स्वर्ण जयन्ती वर्ष है इसलिए मैं अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि इस बार 2 दिन का एक स्वर्ण जयन्ती सत्र विशेष तौर पर बुलाया जाये। इसके लिए आप अपनी सुविधानुसार तथा सभी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श कर लें कि कौन से दो दिन ठीक रहेंगे ताकि प्रदेश में अभी तक जो काम हुये हैं उस पर भी विचार कर सकें तथा जो काम आगे करने वाले हैं उस पर भी विजन ठीक से बन सके। अध्यक्ष महोदय, विशेष तौर से इस वर्ष में हम कौन सी ऊंचाइंयों को छू सकते हैं ताकि आने वाला समय यादगार बन सके कि हमने स्वर्णजयंती वर्ष में क्या-क्या किया। अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: सदन के सभी सदस्यों का, सभी नेताओं का, आपका, उपाध्यक्ष महोदया का, मीडिया का, सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का और सब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब से आप इस पद पर आसीन हुए हैं तब से लेकर अब तक जितने भी इस सदन के साथी हैं चाहे वे विपक्ष से हैं या सत्ता पक्ष से हैं, जिस किसी ने भी आपसे जिस किसी इश्यू पर आपसे बोलने का समय मांगा उसको आपने चाहे थोड़ा समय दिया लेकिन आपने सभी साथियों को समय देकर अपनी बात कहने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं इस बात के लिए भी आपका आभारी हूं कि आपने इस सदन में जो पुरानी परम्पराएं रही थी उन सबको तोड़ कर एक नई परम्परा स्थापित की है। मेरे ख्याल से इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई ऐसा इश्यू नहीं आया है जिसको लेकर कहीं कोई आपस में एक-दूसरे के प्रति ज्यादा तीखी टिप्पणी हुई हो और वह इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपने सबको अपनी बात कहने का समान समय दिया और सबको अपनी बात कहने का हक दिया। आपने साल में चार सत्र बुलाए और हर अढ़ाई-तीन महीने के बाद हर मैंबर को अपनी बात कहने का मौका मिला। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम स्वर्णजयंती वर्ष के अवसर पर दो दिन का सत्र बुलाना चाहते हैं इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप

उस सत्र को भी तीन या चार दिन का कर देंगे तो सभी एम.एल.एज. अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों की जो बातें इस सत्र के दौरान नहीं कह सके पर चर्चा कर सकेंगे। स्वर्णजयंती वर्ष में उनके क्षेत्र में क्या-क्या कार्य हो सकते हैं उनको भी वे सदन में रख सकेंगे इसलिए अगर इस स्वर्णजयंती सत्र को भी तीन दिन का कर देंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपका धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ था कि आपने सभी मैंबर्ज को बोलने का समय दिया और आगे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह सबको बोलने का समय देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, टेकचन्द शर्मा जी ने जो प्रस्ताव पेश किया था जिसको सदन के सभी सदस्यों ने स्वीकार किया है उसके लिए मैं आपका और सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ । मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो कमेटी बनाई थी उसकी रिक्मैंडेशंज को स्वीकार कर लिया गया है इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन में आप सभी के द्वारा प्रदान किये गये सहयोग के लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और इसके अतिरिक्त मैं प्रैस के प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, तथा हरियाणा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने वर्तमान सत्र के सुचारू रूप से संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।

*12.00 बजे (तत्पश्चात सदन अनिश्चितकाल के लिए *स्थगित हुआ)

54351—H.V.S.—H.G.P., Chd.

© 2016

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and printed by the Controller, Printing and Stationery Department, Haryana, Chandigarh.